सत्यमेव जयते

वार्षिक रिपोर्ट

2018-19

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन.डी.एम.ए.)

भारत सरकार

एन.डी.एम.ए. भवन, ए-1, सफदरजंग एनक्लेव,

नई दिल्ली-110 029

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

वार्षिक रिपोर्ट

2018-2019

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन.डी.एम.ए.)
भारत सरकार
एन.डी.एम.ए. भवन, ए-1, सफदरजंग एन्क्लेव,
नई दिल्ली-110029

संक्षेपाक्षर

ए.ई.आर.बी.	परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड
सी.बी.आर.एन.	रासायनिक, जैविक, विकिरणकीय एवं नाभिकीय
सी.एस.एस.आर.	क्षतिग्रस्त इमारत खोज एवं बचाव
डी.एम.	आपदा प्रबंधन
डी.पी.आर.	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट
ई.एफ.सी.	व्यय वित्त समिति
ई.डब्ल्यू.	पूर्व–चेतावनी
एफ.आई.सी.सी.आई. (फिक्की)	भारतीय उद्योग एवं वाणिज्य संगठन परिसंघ (फिक्की)
जी.आई.एस.	भौगोलिक सूचना प्रणाली
जी.ओ.आई.	भारत सरकार
एच.पी.सी.	उच्चाधिकार प्राप्त समिति
आई.एम.डी.	भारतीय मौसम विज्ञान विभाग
आई.एन.एस.ए.आर.ए.जी.	अंतरराष्ट्रीय खोज एवं बचाव सलाहकार समूह
एल.बी.एस.एन.ए.ए.	लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी
एम.एफ.आर.	चिकित्सा हेतु प्राथमिक मोचक
एम.एच.ए.	गृह मंत्रालय
एन.सी.एम.सी.	राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति
एन.सी.आर.एम.पी.	राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम प्रशमन परियोजना
एन.डी.एम.ए.	राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
एन.डी.आर.एफ.	राष्ट्रीय आपदा मोचन बल
एन.ई.सी.	राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति
एन.ई.आर.एम.पी.	राष्ट्रीय भूकंप जोखिम प्रशमन परियोजना
एन.जी.ओ.	गैर–सरकारी संगठन
एन.आई.डी.एम.	राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान
ओ.एफ.सी.	ऑप्टिकल फाइबर केबल
आर.एंड डी.	अनुसंधान एवं विकास
एस.ए.आर.	खोज एवं बचाव
एस.डी.आर.एफ.	राज्य आपदा मोचन बल
यू.टी.	संघ राज्य क्षेत्र

विषय-सूची

		i"B l[;k
	संक्षेपाक्षर	iii
अध्याय 1	प्रस्तावना	1
अध्याय 2	कार्यकलाप एवं लक्ष्य	5
अध्याय 3	नीति, योजनाएं और दिशानिर्देश	7
अध्याय 4	आपदा जोखिम प्रशमन परियोजनाएं	17
अध्याय 5	क्षमता विकास	31
अध्याय 6	कृत्रिम अभ्यास एवं जागरूकता सृजन	37
अध्याय 7	प्रशासन एवं वित्त	55
	अनुबंध – I	59
	अनुबंध – II	61

अध्याय 1

प्रस्तावना

असुरक्षितता विवरण

1.1 भारत, अपनी अनोखी भू–जलवायु एवं सामाजिक–आर्थिक स्थितियों के कारण, बाढ़, सूखा, चक्रवात, सुनामी, भूकम्प, शहरी बाढ़, भूस्खलन, हिमस्खलन और जंगल की आग जैसे भिन्न–भिन्न प्रकार के जोखिमों और अनेक आपदाओं से असुरक्षित रहा है। देश के 36 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (यू.टी.) में से 27 आपदा प्रवण हैं, 58.6% भू–भाग साधारण से लेकर अति उच्च तीव्रता वाला भूकम्प प्रवण क्षेत्र हैः इसकी भूमि का 12% बाढ़ प्रवण और नदी कटाव वाला क्षेत्र है; इसकी कुल 7,516 कि.मी. लंबी समुद्री तटरेखा में से 5,700 कि.मी. भू–भाग चक्रवात और सुनामी प्रवण क्षेत्र है; इसके कुल कृषि योग्य क्षेत्रफल में से 68% भाग सूखे से असुरक्षित है; और इसके पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन और हिमस्खलन का जोखिम बना रहता है, इसका 15% भू–भाग भूस्खलन प्रवण है। कुल 5,161 शहरी स्थानीय निकाय शहरी बाढ़ प्रवण हैं। आगजनी की घटनाएँ, औद्योगिक दुर्घटनाएँ और अन्य मानव–जनित आपदाएँ जिनमें रासायनिक, जैविक और रेडियोधर्मी सामग्रियों से संबंधित आपदाएं शामिल हैं, वे अतिरिक्त खतरे हैं जिन्होंने आपदाओं के प्रशमन, उनका सामना करने की तैयारी और उनके लिए मोचन संबंधित उपायों को मजबूत बनाने की आवश्यकताओं को रेखांकित किया है।

1.2 भारत में आपदाओं की जोखिम, जनांकिकीय और सामाजिक–आर्थिक अवस्थाओं में तेज गति से होने वाले बदलावों, अनियोजित नगरीकरण, उच्च जोखिम क्षेत्रों में विकास, पर्यावरण क्षरण, जलवायु परिवर्तन, भू–गर्भीय संकट, महामारियों और संक्रामक रोगों से संबद्ध बढ़ती असुरक्षितताओं में और भी अधिक वृद्धि हुई है । स्पष्टतः, इन सब बातों से एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जहां ये आपदाएं भारत की अर्थव्यवस्था, इसकी आबादी और अनवरत विकास के लिए गंभीर खतरा बन गई हैं।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन.डी.एम.ए.) की उत्पत्ति

1.3 किसी आपदा की स्थिति में बचाव, राहत और पुनर्वास उपायों को करने की बुनियादी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। केन्द्र सरकार भयानक प्राकृतिक विपदाओं के मामले में राज्य सरकार के प्रयासों में, उन्हें संभारतंत्र एवं वित्तीय सहायता प्रदान करके, मदद करती है। संभारतंत्र सहायता में एयरक्राफ्टों, नावों, सशस्त्र बलों की विशेष टीमों, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सी.ए.पी.एफ) और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एन.डी.आर.एफ.) की तैनाती, राहत सामग्रियों और अनिवार्य वस्तुओं की व्यवस्थाएं, जिनमें मेडिकल स्टोर शामिल हैं, महत्त्वपूर्ण ढांचागत सुविधाओं की पुनर्बहाली जिनमें संचार नेटवर्क शामिल है, और स्थिति से कारगर ढंग से निपटने के लिए प्रभावित राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा यथा अपेक्षित अन्य कोई सहायता सम्मिलित हैं।

1.4 सरकार ने आपदा प्रबंधन के तरीके की प्रणाली

वाले राहत केंद्रित तरीके को एक समग्र एवं एकीकृत प्रबंधन तरीके द्वारा परिवर्तित किया है जिसमें आपदा प्रबंधन के सम्पूर्ण चक्र (रोकथाम, प्रशमन, तैयारी, मोचन, राहत, पुनर्वास और पुनर्बहाली) को कवर किया गया है। यह तरीका इस दृढ़ धारणा पर आधारित है कि विकास तब तक कायम नहीं रह सकता जब तक कि आपदा प्रशमन विकास प्रक्रिया के अंदर ही शामिल न हो।

1.5 भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन के महत्त्व को राष्ट्रीय प्राथमिकता का मानते हुए, अगस्त, 1999 में एक उच्चाधिकार समिति का गठन एवं गुजरात भूकम्प के बाद 2001 में आपदा प्रबंधन योजनाओं की तैयारी के बारे में सिफारिशें करने तथा कारगर प्रशमन तंत्रों का सुझाव देने के लिए आपदा प्रबंधन पर एक राष्ट्रीय समिति का भी गठन किया था । तथापि, हिंद महासागर में आई वर्ष 2004 की सुनामी के बाद भारत सरकार ने, भारत में आपदाओं के प्रबंधन के क्षेत्र में समग्र और समेकित दृष्टिकोण बनाने और उसे कार्यान्वित करने हेतु संसद के एक अधिनियम के द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन.डी. एम.ए.) की स्थापना करके, देश के विधायी इतिहास में एक ठोस कदम उठाया।

1.6 भारत सरकार ने आपदाओं और उनसे जुड़े मामलों अथवा उनके कारण हुई दुर्घटनाओं के कारगर प्रबंधन की व्यवस्था के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 को अधिनियमित किया है। यह अधिनियम आपदाओं के दुष्प्रभावों को रोकने तथा प्रशमित करने और किसी आपदा की परिस्थिति में तुरंत मोचन हेतु सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/अभिकरणों द्वारा उपायों को सुनिश्चित करके, आपदा प्रबंधन योजनाओं को तैयार करने तथा उनके कार्यान्वयन की मॉनीटरिंग के लिए सांस्थानिक प्रक्रम को निर्दिष्ट करता है।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन.डी.एम.ए.) का गठन

1.7 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन 30 मई, 2005 को भारत सरकार के एक कार्यकारी आदेश द्वारा किया गया था। तत्पश्चात्, 23 दिसंबर, 2005 को आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 को अधिनियमित किया गया और 27 सितंबर, 2006 को इस अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत इस प्राधिकरण को अधिसूचित किया गया ।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन.डी.एम.ए.) का संघटन

1.8 भारत के प्रधानमंत्री एन.डी.एम.ए. के पदेन अध्यक्ष हैं। वर्तमान सदस्य और प्राधिकरण में उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि निम्नानुसार हैं :

1.	श्री आर.के. जैन, भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी (आई.ए.एस.) (सेवानिवृत्त)	सदस्य (01.12.2015 से 30.11.2018 तक)
2.	लेफ्टिनेन्ट जनरल (सेवानिवृत्त) एन.सी. मरवाह, पी.वी.एस.एम., ए.वी.एस.एम.	सदस्य (30.12.2014 से)
3.	डॉ. डी.एन. शर्मा	सदस्य (19.01.2015 से)
4.	श्री कमल किशोर	सदस्य (16.02.2015 से)

1.9 राष्ट्रीय स्तर पर, एन.डी.एम.ए. के पास, अन्य बातों के साथ–साथ, आपदा प्रबंधन पर नीतियाँ निर्धारित करने और भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा उनकी विकास योजनाओं तथा परियोजनाओं में आपदा जोखिम न्यूनीकरण

(डी.आर.आर.) उपायों के एकीकरण अथवा आपदा के असर के प्रशमन के उद्देश्य हेतु अनुपालन किए जाने वाले दिशानिर्देशों को तैयार करने की जिम्मेदारी है। राज्यों द्वारा अपनी संबंधित राज्य आपदा प्रबंधन योजनाओं को तैयार करने और आपदाओं को रोकने के लिए उपायों के करने अथवा इसका असर कम करने के साथ–साथ, किसी आपदा से निपटने के लिए क्षमता निर्माण, जैसा राज्य जरूरी समझे, करने हेतु अनुपालन किए जाने वाले दिशानिर्देशों को भी एन.डी.एम.ए. निर्दिष्ट करता है।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन.डी.एम.ए.) सचिवालय

1.10 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन.डी.एम.ए.) की संगठनात्मक संरचना को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मई, 2008 में अनुमोदित किया गया था। सचिवालय का नेतृत्व एक सचिव करते हैं और उनके साथ पांच संयुक्त सचिव/सलाहकार होते हैं जिनमें से एक वित्तीय सलाहकार होता है। संगठन में दस संयुक्त सलाहकार (निदेशक स्तर के) और चौदह सहायक सलाहकार (अवर सचिव स्तर के) होते हैं और उनकी सहायता के लिए सहायक स्टाफ होता है। अनेक वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी भी संगठन को उसके काम में सहायता देते हैं। चूँकि, आपदा एक विशिष्ट विषय है; इसलिए यह भी सुनिश्चित किया गया है कि विशेषज्ञों की विशेषज्ञता अनुबंध आधार पर उपलब्ध रहे। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सचिवालय के विस्तृत संगठन की परिचर्चा 'प्रशासन एवं वित्त' नामक एक पृथक अध्याय में की गई है। अधिकारियों की सूची अनुबंध II में प्रस्तुत है।

अध्याय 2

कार्यकलाप एवं लक्ष्य

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के कार्यकलाप

2.1 भारत में आपदा प्रबंधन हेतु शीर्ष निकाय के रूप में, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का उत्तरदायित्व आपदाओं के बारे में समयबद्ध और कारगर मोचन सुनिश्चित करने के लिए आपदा प्रबंधन हेतु नीतियाँ, योजनाएं और दिशानिर्देश निर्धारित करने का है। इसके विधायी कार्यों में निम्नलिखित कार्य करने के उत्तरदायित्व भी शामिल हैं:

(क) आपदा प्रबंधन के संबंध में नीतियां निर्धारित करना ;

(ख) राष्ट्रीय योजना को और भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों द्वारा राष्ट्रीय योजना के अनुसार तैयार की गईं योजनाओं को अनुमोदित करना;

(ग) राज्य योजना बनाने के लिए राज्य प्राधिकारियों के अनुपालन हेतु दिशानिर्देश निर्धारित करना;

(घ) भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा विकास योजनाओं और परियोजनाओं में आपदा की रोकथाम के उपायों को समेकित करने तथा आपदा के प्रभाव का प्रशमन करने के प्रयोजनार्थ अपनाए जाने वाले दिशानिर्देश निर्धारित करना;

(ङ) आपदा प्रबंधन की नीति और योजना के प्रवर्तन और कार्यान्वयन में समन्वय करना;

(च) आपदा प्रशमन के प्रयोजनार्थ धनराशियों (फंड्स) की व्यवस्था की सिफारिश करना;

(छ) बड़ी आपदाओं से प्रभावित अन्य देशों को ऐसी सहायता सुलभ कराना जैसी केंद्रीय सरकार द्वारा तय की जाए;

(ज) आपदा की रोकथाम के लिए, अथवा आपदा की स्थिति की आशंका से या आपदा से निपटने के लिए प्रशमन, अथवा तैयारी और क्षमता निर्माण के लिए ऐसे अन्य कदम उठाना जो एन.डी.एम.ए. आवश्यक समझे;

(झ) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एन.आई.डी.एम.) के कामकाज के लिए व्यापक नीतियां और दिशानिर्देश निर्धारित करना;

(ञ) आपदा की स्थिति की आशंका या आपदा से निपटने के लिए विशेष कार्रवाई के प्रयोजन के लिए अधिनियम के अधीन गठित राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एन.डी.आर.एफ.) पर प्रमुख अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण रखना;

(ट) आपदा की स्थिति की आशंका या आपदा में बचाव तथा राहत के लिए सामान या सामग्री की आपातकालीन अधिप्राप्ति के लिए संबंधित विभाग या प्राधिकरण को प्राधिकृत करना;

(ठ) आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को प्रदान की जाने वाली राहत के न्यूनतम मानकों के लिए दिशानिर्देशों की सिफारिश करना।

2.2 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को सभी प्रकार की आपदाओं से, चाहे वे प्राकृतिक हों या मानव–जनित, निपटने के लिए अधिदेश प्राप्त है। जबकि ऐसी अन्य आपातस्थितियों जिनमें सुरक्षा बलों तथा/अथवा आसूचना अधिकरणों

का निकटता से संलिप्त होना अपेक्षित है जैसे आतंकवाद (बगावत के विरुद्ध कार्रवाई), कानून और व्यवस्था की स्थिति, क्रमिक बम विस्फोट, विमान अपहरण, विमान दुर्घटनाएं, रासायनिक जैविक, विकिरणकीय और नाभिकीय (सी.बी.आर.एन.) हथियार प्रणाली, खान आपदाएं, पत्तन और बंदरगाह की आपातस्थितियाँ, जंगल की आग, तेल क्षेत्र में आग और तेल बिखरने की घटनाओं से वर्तमान तंत्र अर्थात् राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति (एन.सी.एम.सी.) द्वारा निपटना जारी रहेगा।

2.3 तथापि, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, सी.बी.आर.एन. आपातस्थितियों के बारे में दिशानिर्देश बनाएगा तथा प्रशिक्षण और तैयारी की गतिविधियों को सुकर बनाएगा। प्राकृतिक और मानव–जनित आपदाओं के लिए चिकित्सा तैयारी, मनो–सामाजिक देखभाल और ट्रॉमा, समुदाय आधारित आपदा तैयारी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, प्रशिक्षण तैयारी, जागरूकता अभियान चलाना आदि जैसे विविध विषयों पर भी संबंधित हितधारकों की भागीदारी में एन.डी.एम.ए. अपना ध्यान आकृष्ट करेगा। आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों के पास उपलब्ध वे संसाधन, जो आपातकालीन सहायता कार्यकलाप के लिए सक्षम हैं, आसन्न आपदा/आपदाओं के समय आपातस्थिति से निपटने के लिए सभी स्तरों पर नोडल मंत्रालयों/अभिकरणों को उपलब्ध कराए जाएंगे ।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की दूरदृष्टि (विजन)

2.4 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अधिदेश और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति से उत्पन्न दूरदृष्टि (विजन) निम्न प्रकार से है:

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के लक्ष्य

2.5 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के लक्ष्य निम्न प्रकार हैं:

(क) सभी स्तरों पर ज्ञान, नवाचार और शिक्षा के माध्यम से रोकथाम, तैयारी और समुत्थानशीलता की संस्कृति को बढ़ावा देना।

(ख) प्रौद्योगिकी, पारंपरिक बुद्धिमत्ता और पर्यावरणीय संरक्षण पर आधारित प्रशमन उपायों को प्रोत्साहित करना।

(ग) आपदा प्रबंधन सरोकारों को विकासात्मक योजना प्रक्रिया में मुख्य स्थान प्रदान करना।

(घ) सक्षमकारी नियामक वातावरण और एक अनुपालनकारी व्यवस्था का सृजन करने के लिए संस्थागत और प्रौद्योगिकीय–विधिक ढांचों को स्थापित करना।

(ङ) आपदा जोखिमों की पहचान, आकलन और अनुवीक्षण (मॉनिटरिंग) करने के लिए प्रभावी तंत्र सुनिश्चित करना।

(च) सूचना प्रौद्योगिकी की सहायता से प्रत्युत्तरपूर्ण और बाधा–रहित संचार से युक्त समकालीन पूर्वानुमान एवं शीघ्र चेतावनी प्रणालियां विकसित करना।

(छ) समाज के कमजोर वर्गों की जरूरतों को ध्यान में रखकर उनके अनुकूल प्रभावी मोचन और राहत के कार्य सुनिश्चित करना।

(ज) अधिक सुरक्षित ढंग से जीने के लिए आपदा का सामना करने में सक्षम इमारतें खड़ी करने को, एक अवसर के रूप में मानते हुए, पुनर्निर्माण कार्य हाथ में लेना।

(झ) आपदा प्रबंधन के लिए मीडिया के साथ एक उपयोगी और सक्रिय (प्रोडक्टिव एंड प्रोएक्टिव) सहभागिता को बढ़ावा देना।

^^jk"Vªh; vkink izca/ku izkf/kdj.k ** ... ^^jkdFkke] i'keu] r;kjh ,o ekpu ifjr lLdfr d ek/;e l ,d lexz lfØ;] cg&vkink dfnr vkj ik|kfxdh lpkfyr j.kuhfr dk fodkl djr g, ,d ljf{kr rFkk vkink l fuiVu e i.k l{ke Hkkjr dk fuek.k djukA^^

अध्याय 3

नीति, योजनाएं और दिशानिर्देश

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति (एन.पी.डी.एम.) 2009

3.1 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा दिनांक 22 अक्तूबर, 2009 को अनुमोदित किया गया था और इसे 18 जनवरी, 2010 को जारी किया गया। इसमें पूर्ववर्ती 'मोचन–केंद्रित' तरीके के स्थान पर रोकथाम, तैयारी और प्रशमन के तरीके पर बल देते हुए आपदा के समग्र प्रबंधन दृष्टिकोण को अपनाकर किए गए आमूलचूल परिवर्तन को दर्शाया गया है।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना (एन.डी.एम.पी.)

3.2 राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति (एनईसी) द्वारा तैयार राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना (एन.डी.एम.पी.) के मसौदे को एनडीएमए द्वारा कार्रवाई हेतु सेंडाई रूपरेखा के आधार पर हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श से संशोधित किया गया। इसे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दिनांक 01.06.2016 को जारी किया गया और यह योजना एन.डी.एम.ए. की वेबसाइट www.ndma.gov.in पर दिए गए लिंक नीति एवं योजना – राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना के अंतर्गत उपलब्ध है। योजना संशोधित करने के लिए, सभी हितधारकों के विचार/जानकारियां/सिफारिशें प्राप्त करने के लिए एक दो–दिवसीय परामर्शी कार्यशाला का 12 और 13 अप्रैल, 2017 को आयोजन किया गया। इन जानकारियों (इनपुट्स) के आधार पर, यह योजना संशोधन के अंतर्गत है।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशानिर्देश

3.3 उद्देश्यों को योजनाओं में रूपांतरित करने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय स्तरों पर विभिन्न संस्थाओं (प्रशासनिक, अकादमिक, वैज्ञानिक और तकनीकी) के सहयोग से अनेक पहलों (इनीशियेटिव्स) को शामिल करते हुए एक मिशन–आधारित दृष्टिकोण (मिशन–मोड अप्रोच) को अपनाया है। नीति के रूप में, केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, राज्यों और सभी अन्य हितधारकों को दिशानिर्देश बनाने के काम में शामिल किया गया है। विनिर्दिष्ट आपदाओं और प्रसंगों (जैसे क्षमता विकास और जन जागरूकता) पर आधारित ये दिशानिर्देश योजनाओं की तैयारी के लिए आधार प्रदान करते हैं। विषय की जटिलता पर निर्भर रहते हुए, दिशानिर्देशों को बनाने में न्यूनतम 12 से 18 महीनों का समय लगता है। इस दृष्टिकोण में हितधारकों के साथ एक 'नौ–चरण' वाली सहभागितापूर्ण तथा परामर्शी प्रक्रिया शामिल है जैसा कि चित्र 3.1 में दिखाया गया है।

3.4 इस प्रक्रिया में निम्नलिखित बातें शामिल हैं:–

- केंद्रीय मंत्रालयों, राज्यों, वैज्ञानिक और तकनीकी संस्थाओं आदि सहित विभिन्न अभिकरणों द्वारा अब तक किए गए कार्यों/उपायों पर आपदा–वार किए गए अध्ययनों की एक त्वरित समीक्षा।
- प्रचालनात्मक, प्रशासनिक, वित्तीय और कानूनी मुद्दों से संबंधित शेष कार्यों की पहचान।
- गंतव्य कार्य योजना तैयार करना, जिसमें

सुगम मॉनीटरिंग को सुकर बनाने के लिए महत्त्वपूर्ण उपलब्धियों को उचित प्रकार से दर्शाया गया हो।

- उद्देश्यों और लक्ष्यों को, अल्पावधि एवं दीर्घावधि में गंतव्य/मंजिल की पहचान जिनकी विधिवत् प्राथमिकता महत्त्वपूर्ण, अनिवार्य और ऐच्छिक रूप में की गई हो, करके हासिल किया जाए।
- चार महत्त्वपूर्ण प्रश्नों, अर्थात्–क्या किया जाना है? किस प्रकार किया जाना है? कौन करेगा? और कब तक किया जाना है?–के उत्तर दिए जाएं।
- एक संस्थागत तंत्र स्थापित किया जाए जो इस कार्य योजना के प्रचालनीकरण की निगरानी करे।

दिशानिर्देश तैयार करने की प्रक्रिया

नौ चरण

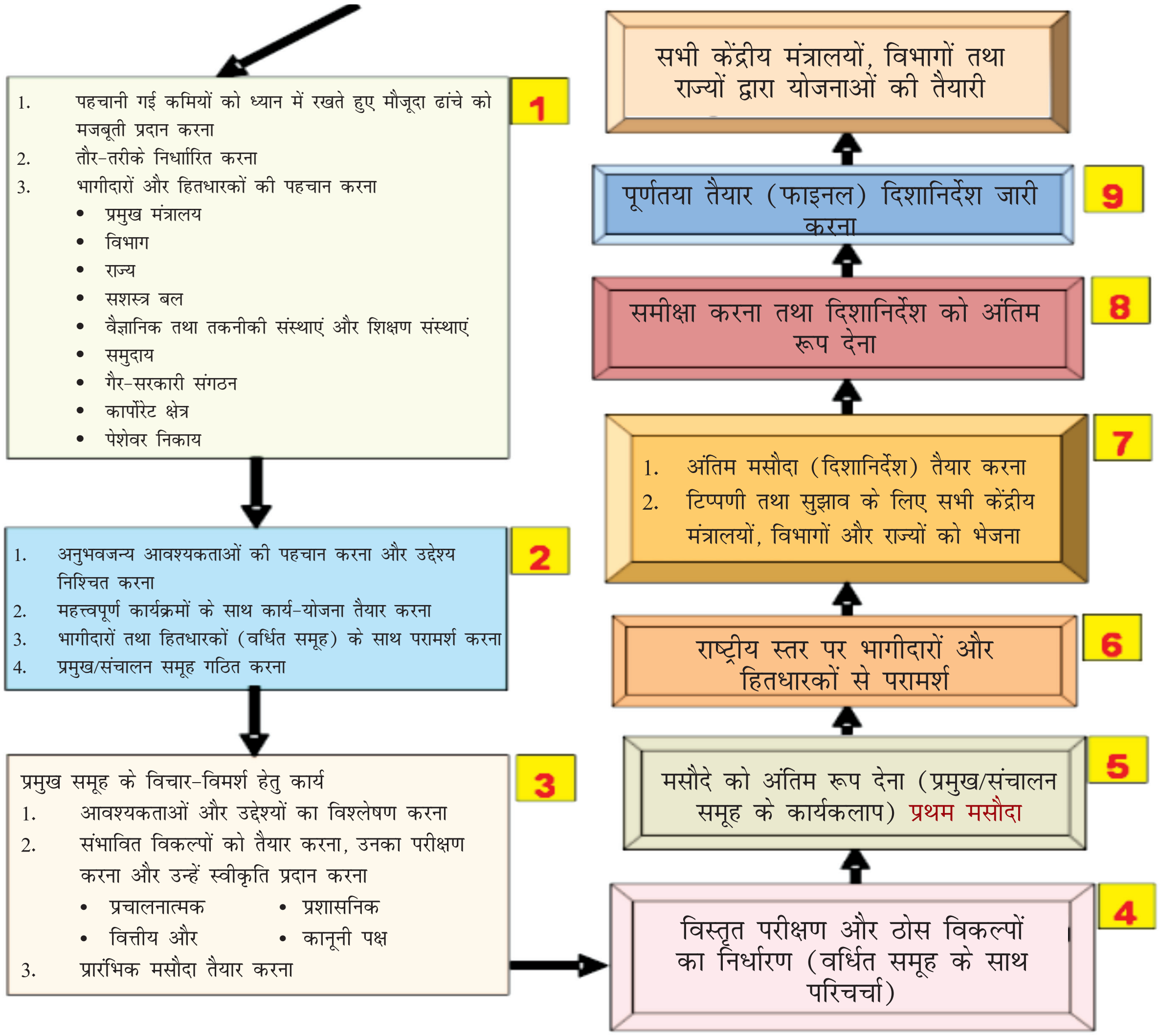

चित्र 3.1

3.5 पिछले वर्षों के दौरान एन.डी.एम.ए. द्वारा निम्नलिखित दिशानिर्देश तथा रिपोर्टें जारी की गई हैं–

(i) जारी किए गए दिशानिर्देशः

Ø- lŒ	jk"Vh; vkink icèku fn'kkfun'kk d 'kh"kd	mudk r;kj dju@tkjh dju dk eghuk rFkk o"k
1.	भूकंप प्रबंधन	अप्रैल, 2007
2.	रासायनिक आपदा (औद्योगिक) प्रबंधन	अप्रैल, 2007
3.	राज्य आपदा प्रबंधन योजनाओं को तैयार करना	जुलाई, 2007
4.	चिकित्सा तैयारी एवं बड़ी दुर्घटना का प्रबंधन	अक्तूबर, 2007
5.	बाढ़ प्रबंधन	जनवरी, 2008
6.	चक्रवात प्रबंधन	अप्रैल, 2008
7.	जैव आपदा प्रबंधन	जुलाई, 2008
8.	नाभिकीय और विकिरणकीय आपातस्थिति प्रबंधन	फरवरी, 2009
9.	भूस्खलन एवं हिमस्खलन प्रबंधन	जून, 2009
10.	रासायनिक (आतंकवाद) आपदा प्रबंधन	जून, 2009
11.	आपदाओं में मनो–सामाजिक सहायता और मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं	दिसंबर, 2009
12.	घटना कार्रवाई प्रणाली	जुलाई, 2010
13.	सुनामी प्रबंधन	अगस्त, 2010
14.	आपदाओं के कारण मारे जाने वाले मृतकों के शवों का प्रबंधन	अगस्त, 2010
15.	शहरी बाढ़ प्रबंधन	सितंबर, 2010
16.	सूखा प्रबंधन	सितंबर, 2010
17.	राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन सूचना और संचार प्रणाली	फरवरी, 2012
18.	अग्निशमन सेवाओं का स्तर–निर्धारण, उपस्कर की किस्म और प्रशिक्षण	अप्रैल, 2012
19.	कमजोर भवनों तथा ढांचों की भूकम्पीय मरम्मत (रेट्रोफिटिंग)	जून, 2014
20.	स्कूल सुरक्षा नीति	फरवरी, 2016
21.	अस्पताल सुरक्षा	फरवरी, 2016
22.	राहत शिविरों में आश्रय, भोजन, जल, सफाई तथा चिकित्सा कवर हेतु राहत के न्यूनतम स्तर	फरवरी, 2016
23.	कार्य योजना की तैयारी–लू की रोकथाम तथा प्रशमन	अप्रैल, 2016 (2017 में संशोधित)

24.	संग्रहालय	मई, 2017
25.	सांस्कृतिक विरासत स्थल तथा आस–पास का परिसर	सितंबर, 2017
26.	नौका सुरक्षा	सितंबर, 2017
27.	आंधी–तूफान और बिजली कड़कना/हवा के थपेड़ों/धूल/ ओलावृष्टि और तीव्र हवा की रोकथाम और प्रबंधन–कार्य योजना की तैयारी	मार्च, 2019

(ii) जारी की गई रिपोर्टें तथा अन्य दस्तावेज :

Ø- lŒ	fooj.k
1.	नागरिक सुरक्षा संगठन का पुनर्गठन
2.	राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एन.आई.डी.एम.) की कार्यप्रणाली
3.	पी.ओ.एल. टैंकरों के परिवहन हेतु सुरक्षा और सावधानी उपायों का सुदृढ़ीकरण
4.	नगर जलापूर्ति और जलाशयों के संकट
5.	आपदा के प्रति कार्रवाई हेतु प्रशिक्षण प्रणाली
6.	नागरिक सुरक्षा तथा संबद्ध संगठनों के प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण हेतु पुस्तिकाः भाग I एवं II
7.	भीड़–भाड़ वाले कार्यक्रमों और स्थानों पर भीड़ का प्रबंधन
8.	भीड़–भाड़ वाले कार्यक्रमों और स्थानों के लिए प्रबंधन योजना को तैयार करने हेतु संक्षिप्त रूपरेखा
9.	आपदा प्रबंधन पर प्रासंगिक अधिनियमों /नियमों /कानूनों /विनियमों /अधिसूचनाओं का सारांश
10.	जिला आपदा प्रबंधन योजना (डी.डी.एम.पी.) की मॉडल रूपरेखा तथा डी.डी.एम.पी. को तैयार करने के लिए व्याख्यात्मक टिप्पणियां
11.	चक्रवात हुदहुद–भारत के समुद्र तटीय क्षेत्रों में बेहतर तैयारी तथा जोखिम समुत्थानशीलता को ओर सुदृढ़ करने के लिए रणनीतियां तथा सबक
12.	प्रशिक्षण मैनुअलः आपातकालीन प्रबंधन अभ्यास का संचालन कैसे करें
13.	भवनों तथा अवसंरचना के आपदा समुत्थानशील निर्माण को सुनिश्चित करने हेतु दिशानिर्देश
14.	भारत में उन्नत ट्रॉमा जीवन सहायता हेतु क्षमता निर्माण पर प्रायोगिक परियोजना
15.	जिला स्तर पर सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों तथा पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों हेतु क्षमता निर्माण
16.	शहरी बाढ़ के प्रशमन हेतु कार्य योजना
17.	2015 की बाढ़ के बाद तमिलनाडु सरकार द्वारा अपनाई गई सर्वोत्तम प्रथाओं पर रिपोर्ट
18.	गुजरात की बाढ़ 2017–एक प्रकरण अध्ययन
19.	खतरा जोखिम निर्माण पर मिस्त्रियों के प्रशिक्षण पर नियम–पुस्तिका (मैनुअल)

3.6 वर्ष 2018–19 के दौरान जारी दिशानिर्देश/रिपोर्टें :

(i) गुजरात बाढ़ 2017– एक प्रकरण अध्ययन : गुजरात के अधिकांश भाग बाढ़ प्रवण हैं और इसका औसतन प्रति दशक चार बाढ़ घटनाओं का सामना करने का इतिहास रहा है। पिछला डेढ़ दशक सात बाढ़ घटनाओं के साथ और भी बुरा रहा है जिसमें वर्ष 2017 की सबसे नवीनतम बाढ़ घटना शामिल है। बाढ़ के कारण कई जिंदगियों, पशु–धन, फसलों, स्थायी परिसंपत्तियों का नुकसान हुआ और सरकारी तथा निजी आधारढांचा को क्षति पहुंची।

इस पृष्ठभूमि में, गुजरात द्वारा अपनाई गई बेहतरीन प्रथाओं और सीखे गए सबकों, खास तौर पर बाढ़–प्रभावित क्षेत्रों में महामारी का प्रकोप रोकने और बाढ़ में फंसे लोगों को राहत सामग्री की आपूर्ति हेतु ड्रोनों का उपयोग करने को प्रलेखित करने के लिए एक अध्ययन कराया गया। इस अध्ययन में राज्य द्वारा अपने लोगों की आपदा से लड़ने की क्षमता बढ़ाने के लिए किए जा रहे दीर्घावधिक उपायों के साथ–साथ इनके लिए संस्थागत व्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए सिफारिशें करने पर भी प्रकाश डाला गया है।

(ii) राज–मिस्त्रियों के प्रशिक्षण हेतु पाठ्यक्रम (करिकुलम) एवं नियम–पुस्तिका (मैनुअल) : भारत में, इसके निवासी लोगों के लिए सुरक्षित और पर्याप्त आवास–व्यवस्था का गंभीर अभाव है। ऐसे सुरक्षित मकानों जो खतरा रोधी भी हों, के निर्माण को सुनिश्चित करने के लिए सुप्रशिक्षित कुशल राज–मिस्त्री अत्यंत महत्त्वपूर्ण है क्योंकि वे मकानों के बारे में सलाह, मार्गदर्शन, प्रबंधन तथा उनके निर्माण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अतः, एनडीएमए ने राज–मिस्त्रियों को प्रशिक्षण देने के लिए नोडल अधिकारियों की सहायता हेतु, खतरा रोधी निर्माण के लिए राज–मिस्त्रियों के प्रशिक्षण मॉड्यूल को तैयार करने की जरूरत महसूस की। प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को देश में निर्माण तकनीकों की विविधता, विभिन्न क्षेत्रों की जनांकिक–कार्यात्मक जरूरतों और मकान बनाने के लिए उपलब्ध और उन तक सुलभ सामग्री की श्रेणी को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है।

3.7 तैयार किए जा रहे दिशानिर्देश तथा अन्य दस्तावेज

(i) विकलांगता समाहित आपदा जोखिम न्यूनीकरण (डीआरआर) पर दिशानिर्देशः विकलांगता समाहित आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर दिशानिर्देशों में आपदा प्रबंधन–आपदा–पूर्व, दौरान और पश्चात्–के सभी पहलुओं को कवर किया जाएगा। पूर्व–आपदा चरण के दौरान दिव्यांगजनों के लिए विशेष तैयारी उपायों पर विचार/ध्यान दिया जाएगा। दिव्यांगों के लिए विशेष जरूरत पर आपदा स्थिति के दौरान ध्यान दिया जाएगा। आपदा पश्चात् कार्यकलापों का फोकस दिव्यांगों की जरूरतों पर विशेष फोकस के साथ पुनर्निर्माण, पुनर्वास और पुनर्बहाली पहलुओं पर होगा। इन दिशानिर्देशों को संयुक्त राष्ट्र निवासी समन्वयक (यूएनआरसी) कार्यालय, नई दिल्ली की सलाह से तैयार किया जा रहा है और अगस्त, 2019 तक इन्हें फाइनल कर लिया जाएगा।

(ii) पुनः बेहतर निर्माण (बिल्ड बैक बैटर–बीबीबी) पर दिशानिर्देश : बिल्ड बैक बैटर पर दिशानिर्देशों का उद्देश्य आपदाओं के प्रति सांस्थानिक और सामुदायिक समुत्थानशीलता को मजबूत करने के लिए आपदा–पश्चात् पुनर्बहाली कार्यकलापों को बेहतर रूप से

आयोजित करने और ठोस विकास सुनिश्चित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों की मदद करना है। दिशानिर्देशों को संयुक्त राष्ट्र विकास परियोजना (यूएनडीपी) कार्यालय, नई दिल्ली के परामर्श से तैयार किया जा रहा है और इन्हें नवंबर, 2019 तक फाइनल करे जाने की संभावना है।

(iii) अस्थायी आश्रय–केंद्रों पर दिशानिर्देश : अस्थायी आश्रय–केंद्रों पर दिशानिर्देशों से सभी सरकारी/निजी एजेंसियों को आपदा–पीड़ितों की जरूरतों के मुताबिक अस्थायी आश्रय–केंद्रों के निर्माण में सहायता मिलेगी। आश्रय–व्यवस्था किफायती, सुरक्षित और स्थानीय लोगों के सांस्कृतिक पहलुओं के प्रति संवेदनशील (सेंसिटिव) हो। यह दिशानिर्देश अस्थायी आश्रय–केंद्रों के निर्माण के लिए प्रयुक्त निर्माण सामग्री/प्रौद्योगिकी को तय करने में एजेंसियों की मदद करेंगे और आश्रय–केंद्रों के निर्माण हेतु अपनाए जाने वाले तरीकों और विभिन्न भौगोलिक स्थितियों में संसाधनों की उपलब्धता के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे। ये दिशानिर्देश अस्थायी आश्रय–केंद्रों के सभी पहलुओं के बारे में जानकारी उपलब्ध कराएंगे। दिशानिर्देशों को तैयार करने का काम इस प्रयोजन के लिए एनडीएमए में गठित विशेषज्ञ समिति के परामर्श से, मैसर्स पीपल इन सेंटर कनसल्टिंग सर्विसेज प्रा० लि०, इस क्षेत्र में कार्यरत एक गैर–सरकारी संगठन (एनजीओ) को सौंपा गया है। इन दिशानिर्देशों को अगस्त, 2019 तक फाइनल किए जाने की संभावना है।

(iv) भूकंप सुरक्षा के लिए गृह स्वामी हेतु गाइड : भूकंप और चक्रवात सुरक्षा हेतु एक सचित्र गृह स्वामी (होम ओनर्स) गाइड को तैयार करने के लिए दिनांक 11.08.2016 को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इससे एक व्यक्ति को भूकंप और चक्रवात रोधी मकान/फ्लैट/भवन का निर्माण करना खरीदना सुविधाजनक हो जाएगा। इस गाइड को दोनों पहलुओं अर्थात संरचनात्मक और गैर–संरचनात्मक सुरक्षा के लिए विकसित किया जा रहा है। इसे विभिन्न रूपों अर्थात बुकलेट, वेबसाइट के ऑनलाइन वर्शन जो प्रिंट करा जा सके, ऑडियो–वीडियो सीडी/डीवीडी, में उपलब्ध कराया जाएगा।

(v) "गाजा" चक्रवात–2018 पर अध्ययन रिपोर्ट : भयंकर चक्रवातीय तूफान गाजा वर्ष 2018 उत्तर हिंद महासागर के चक्रवात मौसम का पाँचवां नाम वाला चक्रवात था। इसने तमिलनाडु के नागापट्टिनम, तंजावुर, तिरुवरूर, पुडकोट्टाई, कराइकल, कुडलोर, त्रिची और रामनाथपुरम जिलों को प्रभावित किया। यद्यपि, राज्य सरकार और जिला प्रशासन ने निवारक उपाय किए और अनेक कीमती जानों को बचाया, हालांकि, चक्रवात 'गाजा' ने आर्थिक नुकसानों के हिसाब से इन जिलों को बुरी तरह प्रभावित किया। अनेक बिजली के खंभे, ट्रांसफॉर्मर और विद्युत केंद्र बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। इस चक्रवात ने मछुआरा समुदाय को भी प्रभावित किया और उनकी रोजी–रोटी को बर्बाद कर दिया। प्रभावित जिलों से पशु हानि और नारियल के पेड़ों को हानि पहुंचने की सूचना मिली है। इसने इन जिलों में फसलों को पूरी तरह नष्ट कर दिया। इस पर अध्ययन का फोकस राज्य सरकारों तथा जिला प्रशासनों द्वारा किए गए निवारक और प्रशमन उपायों, पर होगा। बिजली संचरण लाइनों और अन्य बुनियादी सेवाओं की पुनर्बहाली के लिए राज्य सरकारों द्वारा की गई कार्रवाइयों, राज्य सरकारों द्वारा अपनाई गई सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं और सीखे गए, सबकों पर एक दस्तावेज तैयार करने पर होगा।

3.8 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) द्वारा संचालित कार्यशाला/प्रशिक्षण कार्यक्रम

(i) आपदा डेटाबेस पर राष्ट्रीय कार्यशाला

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) ने संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष (यूनिसेफ), संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) और संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कार्यनीति (यूएनआईएसडीआर) के सहयोग से 2–3 मई, 2018 को आपदा डेटाबेस पर एक दो–दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यषाला का उद्देश्य आपदाओं से बचाव के उपायों पर सहमति, सटीकता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु डेटा इकट्ठा करने, अपडेट करने और वैधीकृत करने के लिए थ्रेशहोल्ड्स और मानकीकृत टैम्पलेट्स विकसित करना था।

एनडीएमए के अधिकारीगण और संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों तथा विभागों, राज्य सरकारों, यूएन एजेंसियों, प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों (एटीआई) आपदा प्रबंधन संस्थानों और विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधियों ने कार्यशाला में भाग लिया। कार्यशाला के दौरान 2005–2015 डेटासेट का उपयोग करके क्षति तथा नुकसान के आकलन हेतु बेसलाइन डेटा स्थापित करने पर पांच तकनीकी सत्र, समूह प्रस्तुतियां और परिचर्चाएं, पेनल परिचर्चाएं, "डीएमआईएस हेतु स्टीयरिंग ग्रुप" का निर्माण और आगे की योजना पर परिचर्चा का आयोजन किया गया। डेटा की अंतर–प्रचालनीयता और सुरक्षा जैसे विषयों पर भी चर्चा की गई।

डेटाबेस की स्थापना की देखरेख और डेटाबेस के प्रचालन, रखरखाव, अपडेट–कार्य और उपयोग के लिए क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण मार्गदर्शन के लिए एक संचालन समूह को बनाने का फैसला किया गया। समूह प्रायोगिक राज्यों की पहचान करेगा और परियोजना के कार्यान्वयन के लिए एक कार्य योजना भी तैयार करेगा।

(ii) लू पर राष्ट्रीय कार्य योजना : वर्ष 2019 में लू के लिए तैयारी के क्रम में, लू पर एक दो–दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला (विषय : पूर्व–चेतावनी, पूर्व–कार्रवाई–लू जोखिम न्यूनीकरण पर बड़ा असर) का दिनांक 27–28 फरवरी, 2019 को नागपुर में महाराष्ट्र सरकार के सहयोग से आयोजन किया गया। कार्यशाला के बड़े उद्देश्यों में सीखे गए सबकों और अनुभवों को साझा करना, दीर्घावधिक प्रशमन उपाय और लू पर आगामी कार्रवाई का विवरण तय करना शामिल है। इस कार्यशाला में सभी लू प्रवण राज्यों, अनुसंधान संस्थानों सहित संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों और मौसम पूर्वानुमान एवं प्रशमन में शामिल अन्य हितधारकों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

3.9 राज्य आपदा प्रबंधन योजना का प्रतिपादन :

सभी 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने अपनी राज्य आपदा प्रबंधन योजना (एसडीएमपी) तैयार कर ली है।

3.10 भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों की आपदा प्रबंधन योजना :

(क) आपदा प्रबंधन योजनाओं (डी.एम.पी.) की तैयारी में भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों की सहायता के लिए, एन.डी.एम.ए. ने 'आपदा प्रबंधन योजना हेतु प्रस्तावित संरचना–भारत सरकार में विभाग/मंत्रालय' का प्रतिपादन किया और उसे सभी संबंधितों को परिचालित किया। यह योजना लिंक–नीति और योजना–केंद्रीय मंत्रालय/विभाग आपदा प्रबंधन योजना के अंतर्गत एन.डी.एम.ए. की वेबसाइट www.ndma.gov.in पर उपलब्ध है।

(ख) आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 37 के अनुसार भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों की आपदा प्रबंधन योजनाओं की तैयारी के मामले को उनके साथ बैठकों और अ.शा. पत्रों के माध्यम से लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है।

(ग) (31.03.2019 की स्थिति के अनुसार) (i) पशु पालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन विभाग, (ii) न्याय विभाग, (iii) कृषि, सहकारिता तथा कृषक विभाग और (iv) कार्पोरेट मामलों का मंत्रालय।

(घ) (31.03.2019 की स्थिति के अनुसार) एनडीएमए ने नीचे दिए गए मंत्रालयों/विभागों की आपदा प्रबंधन योजनाओं की जांच की (i) रेलवे मंत्रालय, (ii) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, (iii) विद्युत विभाग, (iv) इस्पात मंत्रालय, (v) खान मंत्रालय, (vi) भारी उद्योग मंत्रालय, (vii) स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग (viii) नागर विमानन मंत्रालय, (ix) कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग, (x) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, (xi) आयुष मंत्रालय, ;गपपद्ध दूरसंचार विभाग, (xiii) अंतरिक्ष विभाग और (xiv) सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय (xv) जल संसाधन, नदी विकास और गंगा पुनरुद्धार (xvi) उर्वरक मंत्रालय (xvii) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय; और योजनाओं के संशोधन के लिए तदनुसार टिप्पणियां प्रस्तुत कीं।

3.11 कार्यान्वयन के अंतर्गत स्कीम :

(i) राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एसडीएमए) तथा जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) को और मजबूत बनाने के लिए स्कीमः

"राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एसडीएमए) तथा जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) को और मजबूत बनाने के लिए स्कीम" को 01.06.2015 से 31.03.2019 के दौरान 20 महीनों के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में लागू करने हेतु अनुमोदित किया गया था। स्कीम शुरू करने की तिथि वही मानी गई जिस पर आपदा प्रबंधन (डीएम) व्यावसायिकों की सेवाएं स्कीम के अंतर्गत ली गईं (हायर की गईं)। स्कीम का उद्देश्य एसडीएमए और चुने हुए डीडीएमए की कारगरता को बेहतर बनाना था और उन्हें खतरनाक आपदा स्थिति या आपदाओं से निबटने के लिए रोकथाम, प्रशमन, तैयारी और क्षमता निर्माण के उपायों को करने के लिए प्रतिबद्ध डीएम व्यावसायिकों को उपलब्ध कराकर कार्यात्मक रूप से प्रचालनात्मक बनाना था।

इस स्कीम में निम्नलिखित हेतु वित्तीय सहायता की व्यवस्था की गई :

क. राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एस.डी.एम.ए.)

(i) आपदा प्रबंधन के लिए 50,000/–रुपए प्रति मास की दर से दो–तिहाई मानव संसाधन (एच.आर.) व्यावसायिकों (पेशेवरों) की सेवाएं किराए पर लेना।

(ii) 4.00 लाख रुपए प्रति वित्तीय वर्ष की दर से विज्ञापन, उपस्कर, घरेलू यात्रा तथा आकस्मिकता व्यय के लिए प्रशासनिक लागत।

ख. जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डी.डी.एम.ए.)

(i) राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में चुने गए डी.डी.एम.ए. में से प्रत्येक के लिए 40,000/– रुपए प्रति माह की दर से एक मानव संसाधन

(एच.आर.) व्यावसायिक की सेवाएं किराए पर लेना।

(ii) राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में चुने गए डी.डी.एम.ए. में से प्रत्येक के लिए 2.00 लाख रुपए प्रति वित्तीय वर्ष की दर से विज्ञापन, उपस्कर, घरेलू यात्रा तथा आकस्मिकता व्यय के लिए प्रशासनिक लागत।

सिवाए तमिलनाडु राज्य सरकार और दिल्ली के, संघ राज्य क्षेत्र के सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने अपने संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में स्कीम को लागू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर दिए हैं।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की गई राशि का ब्यौरा निम्नानुसार हैः

(i) आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु सेंडाई रूपरेखा को लागू किया जाना : आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु सेंडाई रूपरेखा को लागू करने की स्कीम को वर्ष 2018–19 से तीन वर्षों के लिए सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में लागू करने हेतु 2010.6 लाख रुपए की लागत पर एनडीएमए द्वारा अनुमोदित किया गया है। स्कीम में, अन्य बातों के साथ–साथ, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में एसडीएमए में एक डीएम व्यावसायिक को हायर करने के लिए वित्तीय सहायता का प्रावधान है। डीएम व्यावसायिक आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंडाई रूपरेखा को लागू करने के लिए उपायों को करने में जिला प्रशासन को सुविधा देंगे/सहायता करेंगे। स्कीम के संघटकों के लिए वित्तीय सहायता के विवरण निम्नानुसार हैं :

foŸkh; o"kZ	ftu jkT;ksa@la?k jkT; {ks=ksa dks fuf/k;ka tkjh dh xbZ] mudh la[;k	Tkkjh dh xbZ dqy jkf'k
2015–16	29 (25 राज्य और 4 संघ राज्य क्षेत्र)	1044.40 लाख रुपए
2016–17	10 (6 राज्य और 4 संघ राज्य क्षेत्र)	475.66 लाख रुपए
2017–18	17 (15 राज्य और 2 संघ राज्य क्षेत्र)	714.51 लाख रुपए
2018–19	यदि स्कीम को 31.03.2018 तक पूरा नहीं किया जा सके तो स्कीम को वर्ष 2018–2019 में पहले से प्रदत्त निधियों के साथ लागू किया जाना था।	
	योग	2234.58 लाख रुपए

3.12 इस स्कीम के अंतर्गत एनडीएमए में एक स्कीम क्रियान्वयन इकाई (एसआईयू) का भी प्रावधान था जो एक प्रोजेक्ट एसोसिएट, एक डेटा एंट्री ऑपरेटर तथा एक चपरासी की किराए पर सेवा लेने/भर्ती करने का प्रावधान करता था। एसआईयू के लिए खर्च की गई राशि 12.38 लाख रुपए है। इस प्रकार, स्कीम के लिए जारी की गई कुल राशि 2246.96 लाख रुपए है (राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए 2234.58 लाख रुपए तथा एसआईयू के लिए 12.38 लाख रुपए है।)

क. एक लाख रु. प्रति मास की दर पर एक वरिष्ठ परामर्शदाता को हायर करना।

ख. 22,000/–रु. प्रति मास की दर पर एक डेटा एंट्री ऑपरेटर को हायर करना।

ग. पहले वर्ष 25,000/रु. प्रति मास की सीलिंग, दूसरे वर्ष 27,500/–रु. प्रति मास की सीलिंग और तीसरे वर्ष

30,250/–रु. प्रति मास की सीलिंग के साथ वाहन को किराए पर लेना।

घ. कार्यालय की स्थापना हेतु 2.00 लाख रुपये (एककालिक) की वित्तीय सहायता।

स्कीम के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी राशि का ब्यौरा निम्नानुसार है :

वित्तीय वर्ष	जिन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां जारी की गई, उनकी संख्या	जारी की गई कुल राशि
2018–19	31 (29 राज्य और 2 संघ राज्य क्षेत्र)	594.56 लाख रुपए

(ii) 115 चिह्नित पिछड़े जिलों में से खतरा प्रवण जिलों के जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों (डीडीएमए) का सुदृढ़ीकरण : 115 चिह्नित पिछड़े जिलों में से खतरा प्रवण जिलों के जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों (डीडीएमए) के सुदृढ़ीकरण की स्कीम को गोवा जहां किसी पिछड़े जिले की पहचान नहीं की गई है, को छोड़कर सभी राज्यों में तीन वर्षों हेतु लागू करने के लिए 28. 98 करोड़ रु. की लागत पर एनडीएमए द्वारा मंजूरी दे दी गई है। इस स्कीम में 28 राज्यों में 115 चिह्नित जिलों के प्रत्येक खतरा प्रवण क्षेत्रों में स्कीम की अवधि के दौरान 70,000/रु. की दर पर एक आपदा प्रबंधन (डीएम) व्यावसायिक को हायर करने के लिए वित्तीय सहायता का प्रावधान किया गया है। डीएम व्यावसायिक आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु सेंडाई रूपरेखा के कार्यान्वयन हेतु उपाय करने के लिए जिला प्रशासन को सुविधा देने/सहायता देने का काम करेगा।

इस स्कीम के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी राशि का ब्यौरा निम्नानुसार है :

वित्तीय वर्ष	जिन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां जारी की गई, उनकी संख्या	जारी की गई कुल राशि
2018–19	28 राज्य	524.30 लाख रुपए

3.13 एनडीएमए–आईआरसीएस परियोजनाः छात्र एवं अध्यापकों के लिए प्राथमिक चिकित्सा (एफएएसटी–फास्ट) : एनडीएमए ने, देश के सभी राज्यों में निजी एवं सरकारी क्षेत्र के स्कूलों, दोनों के लिए छात्रों एवं अध्यापकों हेतु प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण मॉड्यूलों को विकसित करने के लिए, भारतीय रेड क्रॉस सोसायटी (आईआरसीएस) और इसकी तकनीकी भागीदार एजेंसियों के सहयोग से एक परियोजना प्रारंभ की। 8वीं से 10वीं, 11वीं और 12वीं, कक्षाओं के छात्रों और अध्यापकों के लिए मॉड्यूलों और एंड्रॉयड और आईओएस के लिए एक इंटरएक्टिव मोबाइल एप्लीकेशन को तैयार किया गया है।

3.14 "आंधी–तूफान एवं बिजली कड़कना/तेज हवा के थपेड़ों/धूल/ओलावृष्टि और भयंकर हवाओं की रोकथाम और प्रबंधन–कार्य योजना की तैयारी के लिए दिशानिर्देश": एनडीएमए ने "आंधी–तूफान एवं बिजली कड़कना/तेज हवाओं के थपेड़ों/धूल/ओलावृष्टि और भयंकर हवाओं की रोकथाम और प्रबंधन–कार्य योजना की तैयारी के लिए दिशानिर्देश" तैयार किए और उन्हें बाद में एनडीएमए वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। फलस्वरूप, एनडीएमए ने राज्यों से अपनी कार्य योजना और उत्तरदायित्व मैट्रिक्स तैयार करने का अनुरोध किया है। इसके अलावा, राज्यों को उन्हें अपनी वेबसाइट पर अपलोड करने तथा राज्य के अंदर सभी हितधारकों को सूचना देने के लिए भी कहा गया है।

अध्याय 4

आपदा जोखिम प्रशमन परियोजनाएं

राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम प्रशमन परियोजना (चरण I)

4.1 जनवरी, 2011 से प्रारंभ 2,541.60 करोड़ रुपए की लागत वाली राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम प्रशमन परियोजना (एन.सी.आर.एम.पी.) चरण I कार्यान्वयन के अंतर्गत है जो एक केंद्रीय सहायता–प्राप्त स्कीम है और इसका निधिपोषण एक अनुकूलनीय कार्यक्रम ऋण के रूप में विश्व बैंक के माध्यम से किया जा रहा है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन.डी.एम.ए.) में बनाई गई परियोजना प्रबंधन इकाई (पी.एम.यू.) इसका नोडल अभिकरण है, जिसमें आंध्र प्रदेश और ओडिशा राज्य भागीदार हैं। इस परियोजना के मुख्य लक्ष्यों में चक्रवात पूर्व चेतावनी और प्रसार प्रणालियों (ई.डब्ल्यू.डी.एस.) को अपग्रेड करना, चक्रवात जोखिम प्रशमन आधारढांचा जैसे बहु–उद्देश्यीय चक्रवात आश्रय–केन्द्र, आवासों तक संपर्क सड़कों/पुलों, लवणीय तटबंधों (सेलाइन इम्बैकमेंट्स) को बनाना ताकि तटीय समुदायों के जोखिम और असुरक्षितताओं को कम किया जा सके और बहु–खतरा जोखिम प्रबंधन हेतु क्षमता निर्माण करना शामिल हैं। यह परियोजना दिनांक 31.12.2018 को बंद कर दी गई है।

परियोजना घटक

4.2 नीचे दी गई सारणी के अनुसार इस परियोजना के चार घटक हैं :

घटक	परियोजना विवरण	परिव्यय (करोड़ रुपए)
क	पूर्व चेतावनी और प्रसार प्रणाली (ई.डब्ल्यू.डी.एस.)	132.00
ख	चक्रवात जोखिम प्रशमन अवसंरचना का निर्माण यथा; – बहु–उद्देश्यीय चक्रवात आश्रय–केंद्र (एम.पी.सी.एस.); – सुरक्षित निकास हेतु सड़कें; – पुल; तथा – लवणीय तटबंध (सेलाइन इम्बैंकमेंट्स);	2223.67
ग	चक्रवात संकट जोखिम प्रशमन, क्षमता निर्माण और ज्ञान सृजन हेतु तकनीकी सहायता।	22.41
घ	परियोजना प्रबंधन और कार्यान्वयन सहायता।	138.64
	अनावंटित आकस्मिकता निधियां	24.88
	योग	2541.60

एन.सी.आर.एम.पी. चरण-I की कार्यान्वयन प्रास्थिति (आंध्र प्रदेश और ओडिशा)

4.3 एन.सी.आर.एम.पी. चरण–I के अंतर्गत 535 बहु–उद्देश्यीय चक्रवात आश्रय–केंद्र, 1086 कि.मी. लंबी सड़के, 32 पुलें और 88.12 कि.मी. लवणीय तटबंध (सेलाइन इम्बैंकमेंट्स) पूर्ण हो चुके हैं। ईडब्ल्यूडीएस के संबंध में 275 सतर्कता (अलर्ट) साइरन, 476 डिजिटल मोबाइल रेडियो और 34 उपग्रह टर्मिनल की खरीद और संस्थापना की गई।

4.4 तीन तकनीकी अध्ययन अर्थात् (i) तटीय खतरा, जोखिम और असुरक्षितता मूल्यांकन (ii) दीर्घावधि प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण मॉड्यूल तैयार करना तथा (iii) आपदा के बाद के आवश्यकता मूल्यांकन (पी.डी.एन.ए.) पूरे किए जा चुके हैं।

वित्तीय प्रबंधन

4.5 दिसंबर, 2018 तक 1983.85 करोड़ रुपए (भारत सरकार का हिस्सा) की राशि जारी की जा चुकी है तथा मार्च, 2019 तक 1824.64 करोड़ रुपए

एन.सी.आर.एम.पी. चरण-I के अंतर्गत बनाई गई परिसंपत्तियों के चित्र (आंध्र प्रदेश)

पश्चिम गोदावरी जिला में संपर्क सड़क

गुंटूर जिला में पुल

एन.सी.आर.एम.पी. चरण-I के अंतर्गत बनाई गई परिसंपत्तियों के चित्र (ओडिशा)

पुरी जिला में एमपीसीएस

राशि (भारत सरकार का हिस्सा) खर्च की जा चुकी है।

एन.सी.आर.एम.पी. चरण-II

4.6 भारत सरकार ने जुलाई, 2015 में मार्च, 2020 तक पांच वर्षों के लिए एन.सी.आर.एम.पी. का चरण–II भी अनुमोदित कर दिया है। एन.सी.आर.एम.पी.–II का परिव्यय 2361.35 करोड़ रुपए है, जिसमें गोवा, गुजरात, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल को कवर किया है। विश्व बैंक से प्राप्त सहायता की राशि 1881.20 करोड़ रुपए है। शेष 480.15 करोड़ रुपए की राशि में गोवा, गुजरात, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र तथा पश्चिम बंगाल की राज्य सरकारों द्वारा अंशदान किया जा रहा है।

परियोजना घटक

4.7 नीचे दी गई सारणी के अनुसार इस परियोजना के चार घटक हैं :

?kVd	ifj;kstuk fooj.k	ifj0;; ¼djkM+ #i,½
क	पूर्व–चेतावनी और प्रसार प्रणाली (ई.डब्ल्यू.डी.एस.)	110.50
ख	चक्रवात जोखिम प्रशमन अवसरंचना निर्माण यथा : – बहु–उद्देश्यीय चक्रवात आश्रय–केंद्र (एम.पी.सी.एस.) – सुरक्षित निकास हेतु सड़कें – पुल – लवणीय तटबंध (सेलाइन इम्बैंकमेंट्स) – भूमिगत केबल लगाना	1920.60
ग	चक्रवात खतरा जोखिम प्रशमन, क्षमता निर्माण और ज्ञान सृजन हेतु तकनीकी सहायता	179.95
घ	परियोजना प्रबंधन और कार्यान्वयन सहायता	150.30
	योग	2361.35

कार्यान्वयन प्रास्थिति:

घटक-क (पूर्व-चेतावनी प्रसार प्रणाली)

4.8 गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल राज्यों ने टीसीआईएल को ई.डब्ल्यू.डी.एस. के कार्यान्वयन के लिए ज्ञान भागीदार/तकनीकी परामर्शदाता को काम में लाया गया है। पश्चिम बंगाल और गुजरात ने अपने ज्ञान भागीदार के रूप में क्रमशः पी.डब्ल्यू.सी. और के.पी.एम.जी. को आबद्ध (इंगेज) किया है।

घटक-ख (चक्रवात जोखिम प्रशमन अवसंरचना)

एन.सी.आर.एम.पी. चरण-II के अंतर्गत बनाई गई परिसंपत्तियों के चित्र (गुजरात)

सूरत जिला में एमपीसीएस

भरुच जिला में एमपीसीएस

एन.सी.आर.एम.पी. चरण-II के अंतर्गत बनाई गई परिसंपत्तियों के चित्र (पश्चिम बंगाल)

दक्षिण 24 परगना जिले में एमपीसीएस

दक्षिण 24 परगना जिले में एमपीसीएस

4.9 भौतिक प्रगति और उपलब्धियां (राज्य–वार)

क्रम सं०	राज्य	घटक	कुल निर्माण कार्य जो किया जाना है	अब तक जो कार्य पूर्ण हो चुके हैं	कार्यान्वयन के अंतर्गत
1	गोवा	एमपीसीएस	सं० 12	0	सं० 10
		लवणीय तटबंध	15.6 कि.मी.	0	0
		भूमिगत केबल लगाना	98 कि.मी.	0	0
2	गुजरात	एमपीसीएस	सं० 95	सं० 26	सं० 67
		सड़कें	157 कि.मी.	129 कि.मी.	28 कि.मी.
3	कर्नाटक	एमपीसीएस	सं० 11	0	सं० 11
		सड़कें	48 कि.मी.	45 कि.मी.	3 कि.मी.
4	केरल	एमपीसीएस	सं० 17	0	सं० 2
5	महाराष्ट्र	एमपीसीएस	सं० 12	0	0
		लवणीय तटबंध	32 कि.मी.	0	0
		भूमिगत केबल लगाना	471 कि.मी.	0	0
6	प० बंगाल	एमपीसीएस	सं० 146	सं० 105	सं० 41
		भूमिगत केबल लगाना	515 कि.मी.	0	500 कि.मी.

घटक-ग (तकनीकी सहायता एवं क्षमता निर्माण)

इस घटक में निम्नलिखित अध्ययन कार्य शुरू किया जाना शामिल है :–

क) खतरा, जोखिम एवं असुरक्षितता अध्ययन : समुद्र तटीय राज्यों के गतिशील वेब आधारित मिश्रित जोखिम एटलस की संभाव्यवादी मॉडलिंग और विकास कार्य प्रगति पर हैं।

ख) लाभ मॉनीटरिंग और मूल्यांकन : अध्ययन प्रगति पर है।

ग) राष्ट्रीय भूकंप जोखिम प्रशमन कार्यक्रम (एनएसआरएमपी) : परामर्शदाता का चयन प्रक्रिया के अंतर्गत है।

घ) जल–मौसम विज्ञानी समुत्थानशीलता कार्य योजना परामर्शदाताओं की शॉर्टलिस्टिंग के लिए रुचि की अभिव्यक्ति (ई.ओ.आई.) का मूल्यांकन किया जा रहा है।

4.10 मार्च, 2019 तक 886.65 करोड़ रुपए (भारत सरकार का हिस्सा) राज्यों को जारी की जा चुकी है। मार्च, 2019 तक 680.60 करोड़ रुपए व्यय (भारत सरकार का हिस्सा) किया गया है।

प्रशमन प्रभाग, एनडीएमए द्वारा किए गए पहल-कार्य

4.11 प्रशमन प्रभाग विविध ख्याति–प्राप्त संस्थानों/संगठनों के माध्यम से प्रायोगिक परियोजनाएं तथा अध्ययन का काम कराता है, जिनमें बाढ़, भूस्खलन, भूकंप, रासायनिक, जैविक विकिरणकीय तथा नाभिकीय आपदाएं आदि शामिल हैं। एनडीएमए द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाएं/कार्यकलाप निम्नानुसार हैं :–

4.12 138.65 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत उत्तर 24 परगना (सं० 20) दक्षिण 24 परगना (सं० 15) के जिलों और पश्चिम बंगाल के पूर्वा मेदिनीपुर (सं० 15) में 50 चक्रवात आश्रय केंद्रों का निर्माण किया गया। सभी 50 आश्रय–केंद्रों का कार्य पूरा करके उन्हें पश्चिम बंगाल सरकार को सौंप दी गई है।

उत्तर 24 परगना जिला में हरिदासकाटी में चक्रवात आश्रय–केंद्र का निर्माण

पूर्वी मेदिनीपुर जिला में बलिसाई कन्या विद्यालय में चक्रवात आश्रय–केंद्र का निर्माण

लक्षद्वीप के मिनिकोय द्वीप में सुरक्षित निकास -सह-सामुदायिक केंद्र का निर्माण

4.13 3,36,99,200/–रु. की अनुमानित लागत से मिनिकोय द्वीप में बहु–उद्देश्यीय सुरक्षित निकास एवं सामुदायिक केंद्र के निर्माण के काम को दिनांक 15.05.2017 को प्रधानमंत्री के कार्यालय के अनुमोदन से सहमति दी गई थी। इसकी सूचना 19.05.2017 को लक्षद्वीप लोक–निर्माण कार्य विभाग (एलपीडब्ल्यूडी) को दी गई थी। एलपीडब्ल्यूडी ने 07.09.2017 को संबंधित कंपनी को निर्माण कार्य सौंप दिया। कार्य प्रगति पर है और यह जल्दी ही पूर्ण होने की संभावना है।

मिनिकोय द्वीप, लक्षद्वीप में प्रस्तावित आश्रय–केंद्र का विहंगम दृश्य (बर्ड्स आई–व्यू)

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (पी.एम.एन.आर.एफ.) से पश्चिम बंगाल में बहु-उद्देश्यीय चक्रवात आश्रय-केंद्रों का निर्माण

भूकंप :

भूकंप आपदा जोखिम सूचकांक (ई.डी.आर.आई.)

4.14 आईआईटी, हैदराबाद ने मई, 2018 को 50 शहरों/कस्बों और बरेली जिले की व्यक्तिगत (इनडिवीजुअल) रिपोर्टों के साथ ईडीआरआई की संशोधित रिपोर्ट को प्रस्तुत किया जिस पर दिनांक 25.05.2018 को हुई ईडीआरआई की परियोजना तकनीकी समीति (पीटीसी) की बैठक में चर्चा की गई थी। ईडीआरआई की पीटीसी ने आईआईटी, हैदराबाद को संबंधित शहरों/कस्बों द्वारा प्रस्तुत करे गए अपेक्षित डेटा सेट को दोबारा देखने और शहरों/कस्बों के ईडीआरआई की गणना को फिर से जांचने की सलाह दी गई। इस संबंध में आईआईटी, हैदराबाद ने एनडीएमए प्रतिनिधि के साथ 9–11 जुलाई, 2018 को ईडीआरआई के गणना के लिए विशाल आकड़ों (ग्रैंड डेटा) के क्रॉस चेक और पुनर्वैधीकरण के लिए दो शहरों नामतः मेरठ और गुरुग्राम का दौरा किया गया।

4.15 आईआईटी, हैदराबाद ने मार्च, 2019 को अंतिम मसौदा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। आगे रिपोर्ट को पीटीसी समिति के सदस्यों को उनकी टिप्पणियों और प्रतिक्रियाओं के लिए भेज दिया

गया। परियोजना के जून, 2019 को पूरा होने की संभावना है।

भारत में बिल्डिंगों का भूकंप सुरक्षा आंकलन

4.16 आईआईटी, हैदराबाद ने दिनांक 29.06.2018 को एनडीएमए को रैपिड विजुअल स्क्रीनिंग (आरबीएस) पर पीआरआईएमईआर (प्राइमर) का मसौदा प्रस्तुत किया, जिसकी जांच एनडीएमए में की गई थी और दिनांक 31.07.2018 को टिप्पणी भेजी गई। आईआईटी, हैदराबाद से फाइनल प्राइमर प्रतीक्षित है।

भूकंप रोधी निर्मित वातावरण हेतु सरलीकृत दिशानिर्देशों का विकास

4.17 एनडीएमए बीआईएस कोडों और एनबीसी–2016 के आधार पर सरलीकृत दिशानिर्देश तैयार करने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के साथ संबद्ध हैं, जिनमें कुल–मिलाकर आम आदमी तथा जनता के हित में भूकंप समुत्थानशील निर्माणों की बुनियादी आवश्यकता को स्पष्ट किया जाएगा। इस संबंध में मसौदा दिशानिर्देश कार्यकारी समूह (डब्ल्यूजी) के माध्यम से तैयार किया गया और डब्ल्यूजी के संयोजन को उनकी टिप्पणी के लिए भेजा गया।

4.18 सरलीकृत दिशानिर्देशों में चित्रात्मक/सचित्र वर्णन के लिए कार्टूनिस्ट के चयन के संबंध में पिछली बैठक के निर्णय के अनुसार, कार्यकारी समूह के सदस्यों ने यह निर्णय लिया कि सीबीआरआई, रुड़की (मुख्य संरचनात्मक पहलुओं के चित्रात्मक प्रस्तुतिकरण के लिए इसका पर्याप्त अनुभव है) को बीआईएस कोडों और एनबीसी–2016 के मुख्य विशेषताओं को चित्रात्मक/कार्टून प्रारूप में दर्शाते हुए पेशेवरों के माध्यम से कार्टून तैयार करना पड़ेगा। इसके अनुसार, एनडीएमए ने सीबीआरआई, रुड़की को सचित्रात्मक/चित्रात्मक प्रारूप को सरलीकृत दिशानिर्देशों में जोड़ने के प्रस्ताव भेजने का अनुरोध किया गया।

बिल्डिंग कोडों का सृजन, आवधिक समीक्षा एवं उन्नयन/संशोधन

4.19 बीआईएस की सीईडी 39 समिति के विचार–विमर्श के आधार पर, 'संभाव्यवादी भूकंपीय खतरा मानचित्र', भूकंपीय डिजाइन पाइपलाइन कोड ऑफ प्रैक्टिस, 'प्रदर्शन आधारित डिजाइन और भूकंपीय डिजाइन और नई संरचनाओं का विस्तार–इस्पात वाले भवन' पर आर एंड डी परियोजना के लिए निधिपोषण के लिए बीआईएस ने एनडीएमए को अनुरोध किया।

4.20 आगे, एनडीएमए ने उपरोक्त उल्लिखित कोडों के लिए 35 लाख रुपए का निधिपोषण करने के लिए निर्णय लिया। भारतीय संभाव्यवादी भूकंपीय खतरा मानचित्र पर आर एंड डी कार्य के लिए समझौता ज्ञापन का अनुमोदन किया गया है और ये हस्ताक्षर के लिए तैयार है। इसका कार्य जून, 2019 को शुरु होने की संभावना है। अन्य 3 कोडों पर आर एंड डी कार्य के लिए मसौदा समझौता ज्ञापन तैयार किया जा रहा है।

भूकंप इंजीनियरिंग पर संसाधन सामग्री का तैयार किया जाना

4.21 सिविल इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर के विषयों में स्नातक–पूर्व (अंडरग्रेजुएट) की पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए भूकंप इंजीनियरी में 12 चयनित विषयों पर किताब तैयार करने के लिए एनडीएमए ने पहल की है। संसाधन सामग्री तैयार करने का मुख्य उद्देश्य भूकंप इंजीनियरी में बुनियादी अवधारणाओं की किताबों की उपलब्धता, प्राप्ति तथा खरीदने की प्रक्रिया की क्षमता को बेहतर बनाना ताकि निर्मित वातावरण की भूकंपीय सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

4.22 इस संबंध में, एनडीएमए ने स्नातक स्तर पर भूकंप इंजीनियरी के पाठ्यक्रम के हिस्से के रूप में विषयों को प्राथमिकता देने के बाद विस्तृत रूपरेखा तैयार करने के लिए विषय विशेषज्ञों का एक कोर समूह तैयार किया गया। कोर समूह

की प्रथम बैठक 08.09.2018 को आईआईटी, मुंबई में हुई थी। बैठक में, 5 विषयों की रूपरेखा को अंतिम रूप दिया गया और संक्षिप्त सारांश के साथ उप–विषय के संदर्भ में विस्तृत रूपरेखा सामग्री प्रत्येक विषयों के लिए अभिज्ञात रूपरेखा के लिए तैयार की जा रही है।

ज्ञान भागीदारी तथा आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु पारम्परिक भूकंप समुत्थानशील निर्माण प्रथाओं का सारांश पारम्परिक निर्माण प्रथाओं का संवर्धन

4.23 एनडीएमए ने ज्ञान भागीदारी तथा आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु पारम्परिक निर्माण प्रथाओं का सारांश तैयार करने का निर्णय लिया गया। इस संबंध में, एनडीएमए ने राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों से अपनी सम्मति (विलिंगनेस) मांगी है। सीबीआरआई, रुड़की, आईआईटी, दिल्ली, एनआईटी, श्रीनगर और एनआईटी, हमीरपुर ने रुचि दिखाई हैं। इसके अलावा एनआईटी, हमीरपुर और आईआईटी, दिल्ली से तकनीकी और वित्तीय प्रस्ताव प्राप्त किया गया। इसकी एनडीएमए में जांच करी जा रही है।

भूस्खलनः

मेसो लेवल 1:10,000 स्केल उपयोगकर्ता के अनुकूल एलएचजेड मानचित्र और हरिद्वार-बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग, उत्तराखंड के तपोवन-व्यासी कॉरीडोर के लिए भूस्खलन सूची तैयार करना।

4.24 एनडीएमए ने दूर संवेदी अनुप्रयोग केंद्र (आरएसएसी)–उत्तर प्रदेश (लखनऊ) के सहयोग से "मेसो लेवल 1:10,000 स्केल प्रयोक्त अनुकूल एलएचजेड मानचित्रों और हरिद्वार–बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग, उत्तराखंड के तपोवन–व्यासी कॉरीडोर के लिए भूस्खलन इन्वेंटरी के सृजन" पर प्रायोगिक परियोजना स्वीकृत की है जिसमें सर्वे ऑफ इंडिया और भारत भू–वैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) अपने इनपुट प्रदान करेंगे। हाई रेजोल्यूशन उपग्रह केंद्र द्वारा 1:10,000 स्केल के एलएचजेड मानचित्रों और लैंडस्लाइड इनवेंटरी का सृजन किया जाएगा।

4.25 इस परियोजना का कुल अनुमानित लागत 23,00,000 रु. (तेइस लाख रुपए) है। इसमें से 21 मई की आरएसएसी–यूपी को 9,00,000 (नौ लाख रुपए) की राशि जारी की जा चुकी है। परियोजना की वर्तमान स्थिति निम्न प्रकार है।

(क) आरएसएसी, यूपी द्वारा परियोजना वैज्ञानिक की नियुक्ति की गई।

(ख) जीएसआई पर 0.5 कि.मी. बफ्फर और रूचि क्षेत्र तैयार किया गया।

(ग) उपलब्ध मानचित्र और चित्र का भू–संदर्भित (जियो–रेफ्रेंसिंग) करना।

(घ) सड़क, बस्तियों, जल–निकासी, सक्रिय स्लाइड आदि की परतों का निर्माण।

(ङ) आरएसएसी–यूपी की टीम ने स्थानीय अध्ययन कर लिया गया और संबंधित डेटा इकट्ठा कर लिया गया।

(च) भारतीय सर्वेक्षण (एसओआई) 1:10,000 स्केल आधार मानचित्र और 30 कि.मी. सड़क के 5 मीटर समोच्च अंतराल को 0.5 कि.मी. बफर के साथ तपोवन से व्यासी मार्ग गलियारे तक बना रहा है जो अंतिम चरण पर है।

कम कीमत भूस्खलन मॉनीटरिंग समाधान का विकास और मूल्यांकन

4.26 एनडीएमए द्वारा माइक्रो–इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम (एमईएमएस) आधारित सेंसर प्रौद्योगिकी के माध्यम से भूस्खलन मॉनीटरिंग के लिए कम लागत सेंसर और अन्य यंत्रों की तैयारी के लिए आईआईटी, मंडी के सहयोग से "कम कीमत भूस्खलन मॉनीटरिंग समाधान का विकास और मूल्यांकन" पर एक प्रायोगिक परियोजना को संस्वीकृत किया गया था।

4.27 परियोजना की कुल अनुमानित लागत 27,85,080 रु. (सत्ताईस लाख पिचासी हजार अस्सी) है। जिसमें से 5,05,788 (पांच लाख हजार पांच हजार सात सौ अट्ठासी रु. केवल), 12,51,614 रु. (बारह लाख इक्यावन हजार छः सौ चौदह रु. केवल) और 5,83,767 रु. (पांच लाख तिरासी हजार सात सौ सड़सठ रु. केवल) की राशियां दिनांक 8 दिसंबर, 2017, 31 मई, 2018 और 30 मार्च, 2019 को आईआईटी, मंडी को जारी की गई थीं। परियोजना की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है :–

(क) संविदात्मक श्रमशक्ति की भर्ती और उपकरण की खरीद पूर्ण हो गई है।

(ख) प्रोटॉटाइप कम लागत एमईएमएस आधारित एलएमएस की विकास प्रक्रिया पूर्ण पूर्ण हो गई है।

(ग) एलएमएस पर लेब स्केल सिमुलेशन का प्रदर्शन पूर्ण।

(घ) उपकरण के सर्फिशल विनियोजन के साथ स्थल का चयन पूर्ण और उप–सतह विनियोजन प्रगति पर है।

भूस्खलन जोखिम प्रशमन योजना (एलआरएमएस)

4.28 एनडीएमए ने एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना "भूस्खलन जोखिम प्रशमन योजना (एलआरएमएस)" की अवधारणा और निर्माण की, जो स्थल विशिष्ट भूस्खलन प्रशमन के लिए भूस्खलन प्रवण क्षेत्र राज्यों को वित्तीय सहायता की परिकल्पना की गई। एलआरएमएस भूस्खलन इंस्टुमेंटेशन, जागरूकता कार्यक्रम, क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण के साथ भूस्खलन प्रशमन उपायों के लाभों के प्रदर्शन के लिए एक प्रायोगिक स्कीम है। एनडीएमए की 15.00 करोड़ रु. की लागत सीमा है, जो प्रत्येक भूस्खलन प्रभावित स्थल या स्थलों के समूह, जो एक–दूसरे से संलग्न हैं, के लिए प्रस्तावित किया गया है। डीपीआर को एनडीएमए की तकनीकी मूल्यांकन समिति (टीईसी) द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। राज्य के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर को स्कीम और डीपीआर के अनुमोदन के बाद किया जाएगा।

4.29 इस स्कीम के तहत भूस्खलन स्थलों के प्रशमन के लिए बारह राज्यों नामतः उत्तराखंड, मिजोरम, नगालैंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु, असम, जम्मू और कश्मीर और मध्य प्रदेश ने एनडीएमए के प्रस्ताव पर जवाब दे दिया है। सिक्किम, मिजोरम, गोवा, नगालैंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और असम के राज्यों द्वारा प्रस्तुत की गई डीपीआर की जांच और मूल्यांकन के लिए टीईसी की सात बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं। उत्तराखंड, सिक्किम और नगालैंड के राज्यों द्वारा प्रस्तुत की गई डीपीआर तकनीकी मूल्यांकन समिति (टीईसी) ने वित्तीय सहायता के लिए सिफारिश की गई है और शेष राज्यों के डीपीआर को टीईसी की जांच के अनुसार संशोधित कर रहे हैं तथा उनके तकनीकी मूल्यांकन टीईसी द्वारा बाद की बैठकों में किए जाएंगे।

4.30 अन्य राज्य जैसे, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र आदि के डीपीआर तैयारी की प्रक्रिया के अंतर्गत हैं। एनडीएमए ने 44,899 करोड़ रुपए की एसएफसी तैयार की है और स्कीम के अनुमोदन के लिए एमएचए को प्रस्तुत किया गया।

"भूस्खलन प्रशमन और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) की तैयारी" पर प्रशिक्षण कार्यक्रम

4.31 जैसाकि राज्य सरकारों द्वारा भूस्खलन प्रशमन और स्थिरीकरण (स्टैबलाइजेशन) पर डीपीआर तैयार करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, एनडीएमए ने आईआईटी, सीबीआरआई, सीआरआरआई आईआईएससी आदि विशेषज्ञ संस्थानों के सहयोग से राज्य सरकारों के अधिकारियों को प्रशिक्षण दिलाने के लिए

"भूस्खलन प्रशमन और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) की तैयारी" पर दो और पांच दिनों के प्रशिक्षण कार्यक्रम को एनडीएमए ने मंजूरी दे दी है। एनडीएमए ने सभी भूस्खलन प्रभावित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को स्थल विशिष्ट भूस्खलन जोखिम प्रशमन के लिए डीपीआर की तैयारी के लिए एनडीएमए प्रोफार्मा आधार पर डीपीआर प्रस्तुत करने का अनुरोध किया। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को समर्थ तकनीकी डीपीआर तैयार करने में कठिनाइयों का सामना करते हुए पाया गया है। इसलिए एनडीएमए ने भूस्खलन प्रबंधन पर दो और पांच दिन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का राज्य सरकारों के अधिकारियों को प्रशिक्षण दिलाने के लिए राज्यों/यूटी में सक्रिय कदम उठाने का निर्णय लिया।

4.32 तदनुसार, 7 से 8 सितंबर, 2018 को केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान (सीआरआरआई), नई दिल्ली और 17 से 18 जनवरी, 2019 को केंद्रीय निर्माण अनुसंधान संस्थान (सीबीआरआई) रुड़की में 2,50,000 रु. प्रति प्रशिक्षण की बजटीय सहायता और दिनांक 18 से 19 मार्च, 2019 को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम), नई दिल्ली के सहयोग से एनडीएमए से कोई बजटीय सहायता के बिना वाईएमसीए, नई दिल्ली में तीन दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किए गए। सभी तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्व आयोजित किए गए थे।

4.33 दिनांक 27 से 31 अगस्त, 2018 तक आईआईटी–मंडी, हिमाचल प्रदेश में एक 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और अगला प्रशिक्षण कार्यक्रम भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी) बंगलौर, कर्नाटक में 6 से 10 मई, 2019 तक एनडीएमए से 7,60,200/–रु. (लगभग) प्रति प्रशिक्षण की बजटीय सहायता से आयोजित किया जाना था।

राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम प्रबंधन कार्यनीति

4.34 एनडीएमए ने राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम प्रबंधन कार्यनीति के निर्माण के लिए विशेषज्ञों का एक कार्यबल तैयार किया। राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम प्रबंधन कार्यनीति को छः स्वतंत्र उप–समूहों के माध्यम से योजनाबद्ध किया गया है। उप–समूह के छः मुख्य घटक निम्न प्रकार हैं :

i) उपयोगकर्ता अनुकूल भूस्खलन संकट मानचित्र तैयार करना

ii) भूस्खलन मॉनीटरिंग और पूर्व–चेतावनी प्रणाली (ईडब्ल्यूएस) का विकास

iii) जागरूकता कार्यक्रम

iv) हितधारकों का क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण

v) पहाड़ी क्षेत्र विनियमों और नीतियों को बनाने की तैयारी

vi) भूस्खलन के स्थिरीकरण और प्रशमन तथा भूस्खलन प्रबंधन के लिए विशेष प्रयोजन साधन का सृजन (एसपीवी)।

4.35 समग्र कार्यनीति उप–समूह के प्रमुख समूह द्वारा तैयार की गई थी। अब, कार्यनीति दस्तावेज एनडीएमए में फाइनल करे जाने और मुद्रण के अंतर्गत हैं।

सीबीआरएन :

मोबाइल विकिरण जांच स्कीम (एमआरडीएस)

4.36 एनडीएमए ने एक प्रायोगिक परियोजना शुरू की है, जिसमें पुलिस कार्मिकों को 56 चयनित शहरों में प्रशिक्षण दिलाया जाएगा और सार्वजनिक स्थानों में विकिरणकीय आपातस्थिति प्रबंधन के लिए उन्हें उपकरणों से सुसज्जित करके तैयार रखा जाएगा। परियोजना में विकिरण उपकरणों की आपूर्ति, वैयक्तिक सुरक्षा उपकरण, एसओपी की तैयारी और प्रशिक्षण शामिल हैं। सभी स्थलों पर पीपीई की आपूर्ति पूर्ण हो चुकी है। 14

स्थानों में विकिरण उपकरणों की आपूर्ति पूरी हो चुकी है और यह अभी भी प्रगति पर है। इस परियोजना के आगामी वित्तीय वर्ष में पूरी होने की संभावना है।

हवाई अड्डा आपातकालीन प्रबंधनकर्ताओं (एईएच) के लिए सीबीआरएन आपातकालीन प्रबंधन पर बुनियादी प्रशिक्षण कार्यक्रम:

4.37 एनडीएमए ने हवाई अड्डे स्टाफ के लिए प्रशिक्षण आयोजित करके हवाई अड्डों में कोई भी सीबीआरएन आपातस्थिति के विरुद्ध तैयारी में सुधार करने के लिए एक पहल शुरू की गई है। प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत 12 मुख्य हवाई अड्डों में सुरक्षा तथा संरक्षण सहित ओ एंड एम के लिए उत्तरदायी स्टाफ के चुने हुए बैच को एक सप्ताह प्रशिक्षण दिलाया गया। कार्यक्रम में डीएई, डीआरडीओ, एनडीआरएफ, एमओएचएंडएफडब्ल्यू आदि सहित कार्यक्षेत्र विभागों से संसाधन का उपयोग किया गया। अवधि के दौरान वाराणसी, पटना, अहमदाबाद, हैदराबाद, चंडीगढ़, रायपुर, बंगलुरू, तिरुवनंतपुरम और दिल्ली के एईएच के प्रशिक्षण को कवर किया गया। कार्यक्रम के तहत 585 एईएच प्रशिक्षित किए गए और अतिरिक्त रूप से लगभग 2250 कार्यकारी स्तर स्टाफ को सीबीआरएन आपातकालीन प्रबंधन पर सुग्राही बनाया गया

जीआईएस :

समुद्री बंदरगाह आपातकालीन हैंडलर्स के लिए सीबीआरएन आपातकालीन प्रबंधन पर बुनियादी प्रशिक्षण कार्यक्रम

4.38 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) के बंदरगाहों में रासायनिक, जैविक, विकिरणकीय और परमाणु सामग्री के उपयोग से होने वाले खतरों, सीबीआरएन आपातस्थितियों से निपटने के लिए बंदरगाह आपातकालीन प्रबंधकों की तैयारियों को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण कार्य भारतीय बंदरगाह संघ (आईपीए) परमाणु, चिकित्सा संस्थान एवं संबद्ध विज्ञान (आईएनएमएएस) और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) की सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। परियोजना की कुल लागत 69.15 लाख रुपए है। 69.15 लाख रु. में से अध्ययन सामग्री की तैयारी, स्टेशनरी/प्रशिक्षण किट आदि की खरीद के लिए एनडीएमए का हिस्सा 7.35 लाख रु. है। वर्ष 2018–19 के दौरान आईएनएमएएस को 7.35 लाख रु. की राशि जारी की जा चुकी है। दो प्रशिक्षण कार्यक्रम क्रमशः दिनांक 11–15 फरवरी, 2019 और 11–15 मार्च, 2019 को न्यू मंगलौर पोर्ट ट्रस्ट और कोचीन में सफलतापूर्वक पूरे किए जा चुके हैं।

एनडीएमए में जीआईएस, सर्वर की स्थापना और जियो-डेटाबेस का सृजन

4.39 आपदा प्रबंधन की विभिन्न अवस्थाओं जैसे प्रशमन, तैयारी, मोचन, क्षति, आंकलन, राहत प्रबंधन तथा संसाधन सृजन की प्रासंगिकता के परिप्रेक्ष्य में, जियो–डेटाबेस सिस्टम और जीआईएस सर्वर की उपलब्धता होना प्रभावी आपदा प्रबंधन के लिए एक अनिवार्य इनपुट है। एनडीएमए ने एक परियोजना की पहल की है, जिसका नाम "एनडीएमए में जीआईएस सर्वर की स्थापना और जियो–डेटाबेस का सृजन" है। इस परियोजना का उद्देश्य बड़ी संख्या में लोगों को सुरक्षा देने के लिए प्रशमन उपयोगों के बारे में नीति–निर्माताओं द्वारा किए गए निर्णयों के बारे में सूचना देने के काम में मदद देने के लिए एक मानकीकृत स्थानिक डेटाबेस, डेटा लेयर्स, मानचित्र तथा वेब आधारित जीआईएस समाधानों को तैयार करना है। परियोजना के लिए 3.30 करोड़ रु. की लागत को स्वीकृत किया गया है। इसमें से 2.25 करोड़ रु. आज की तारीख तक खर्च हो चुके हैं। निम्नलिखित काम पूरा किया जा चुका है।

(क) एनडीएमए की हाउसिंग सर्विस में एक जीआईएस लैब स्थापित की गई और इसमें दक्ष जन–शक्ति की भर्ती की गई।

(ख) अधिकांश हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की मदों को अधिप्राप्त किया गया और जीआईएस सर्वर का काम चालू किया गया ।

(ग) एमपी सर्वर तथा जिओ सर्वर के सृजन का काम पूरा कर लिया गया।

(घ) विभिन्न हितधारकों से आंकड़ों (डेटा) की लेयर को जीआईएस प्लेटफॉर्म पर एकीकृत किया जा रहा है।

(ङ) डेटा इंवेन्टरी का सृजन और डेटा का कैलीबरेशन शुरू कर दिया गया है।

(च) डेटा तक पहुंच के लिए प्रयोक्ता स्तर पर वेब सेवा उपलब्ध कराई गई।

(छ) राज्य सूचना प्रणाली के एकीकरण (असम/पुड्डुचेरी/उत्तराखंड) का काम पूरा हो गया है।

(ज) घटना प्रास्थिति डैशबोर्ड और इंसीडेंट ब्रीफिंग ऐप्लिकेशन बना लिया गया है।

आपदा समुत्थानशील अवसरचंना पर दूसरी अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला (आईडब्ल्यूडीआरआई 2019)

4.40 आपदा समुत्थानशील अवसंरचना पर दूसरी अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला (आईडब्ल्यूडीआरआई) 19–20 मार्च, 2019 को नई दिल्ली में हुई थी। इस कार्यशाला को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए), भारत सरकार द्वारा आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (यूएनडीआरआर) के सहयोग से और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी), विश्व

आपदा समुत्थानशीलता अवसंरचना पर दूसरी अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला 19–20 मार्च, नई दिल्ली।

बैंक समूह और अनुकूलन पर वैश्विक आयोग (जीसीए) की भागीदारी से आयोजित किया गया था।

4.41 कार्यक्रम में 34 राष्ट्रीय सरकारों, बहुपक्षीय विकास बैंक, संयुक्त राष्ट्रीय एजेंसियां, निजी क्षेत्र, नीति थिंक टेंक और शिक्षाविद् से 270 से अधिक भागीदारों को साथ लाया गया। इस कार्यशाला का आयोजन भारत सरकार का आपदा समुत्थानशील अवसंरचना के लिए एक वैश्विक गठबंधन की स्थापना को प्रस्ताव के संबंध में किया गया था। इसमें भागीदारों ने दो दिनों से अधिक तक जोखिम आंकलन, मानकीकरण और विनियमन, वसूली और पुनर्निर्माण तथा उपयुक्त वित्तीय, प्रशासन और शैक्षणिक व्यवस्थाओं सहित आपदा और जलवायु समुत्थानशील अवसरंचना सुविधायुक्त बनाने के महत्व पर विचार–विमर्श किए गए।

4.42 भागीदारों के परामर्श से ड्राफ्ट किए गए कार्यशाला के निष्कर्ष दस्तावेज में आपदा समुत्थानशील आधारढांचा संघ गठित करने हेतु प्रस्ताव के रखे जाने के द्वारा भारत सरकार द्वारा नेतृत्व की भूमिका उठाए जाने के कार्य को मिली व्यापक स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय प्रशंसा और समर्थन को मान्यता दी गई है।

अध्याय 5

क्षमता विकास

प्रस्तावना

5.1 क्षमता विकास के रणनीतिक तरीके पर हितधारकों (स्टेकहोल्डर्स) की सक्रिय और उत्साहवर्धक सहभागिता से ही कारगर ढंग से काम किया जा सकता है। इस प्रक्रिया में जागरूकता सृजन, शिक्षा, प्रशिक्षण, अनुसंधान और विकास (आर.एंड.डी.) आदि शामिल हैं। साथ ही, इसमें समुचित संस्थागत रूपरेखा, प्रबंधन प्रणालियां और आपदाओं का कारगर निवारण तथा उनसे निपटने के लिए संसाधनों का आबंटन से संबंधित समाधान किए जाते हैं।

5.2 क्षमता विकास के तरीके में निम्नलिखित बातें शामिल हैं:

- प्रादेशिक विविधताओं और बहु–संकटीय संवेदनशीलताओं की दृष्टि से उनकी विनिर्दिष्ट जरूरतों के लिए, समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन प्रणालियां विकसित करने के लिए, प्रशिक्षण को प्राथमिकता देना।
- राज्यों और अन्य हितधारकों के सहयोग से, जिसमें राज्य और स्थानीय स्तर के प्राधिकारी कार्यान्वयन प्रभारी हों, परामर्शी प्रक्रिया के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन प्रणालियों की अवधारणा बनाना।
- बेहतर कार्य–निष्पादन के रेकॉर्ड वाले ज्ञान–आधारित संस्थानों की पहचान करना।
- अंतर्राष्ट्रीय और प्रादेशिक सहयोग को बढ़ावा देना।
- पारंपरिक और विश्व की सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों और प्रौद्योगिकियों को अपनाना।
- योजनाओं को परखने के लिए टेबल टॉप अभ्यासों, अनुरूपणों (सिमुलेशंस), मॉक ड्रिलों तथा कौशल विकास पर जोर देना।
- राज्य/जिला/स्थानीय स्तरों पर विभिन्न आपदा कार्रवाई दलों की क्षमता का विश्लेषण।

भारत के 25 राज्यों के चयनित 30 सर्वाधिक बाढ़ प्रवण जिलों में आपदा मोचन-कार्य में सामुदायिक स्वयंसेवकों के प्रशिक्षण हेतु आपदा मित्र स्कीम

5.3 एनडीएमए ने मई, 2016 में एक केंद्रीय प्रायोजित स्कीम को अनुमोदित किया जिसका फोकस भारत के 25 राज्यों अर्थात् असम, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, मिजोरम, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, नगालैंड, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल, के 30 सर्वाधिक बाढ़ प्रवण जिलों में आपदा मोचन के कार्य में 6,000 सामुदायिक स्वयंसेवकों (प्रति जिला 200 स्वयंसेवक) के प्रशिक्षण पर है। इस स्कीम का लक्ष्य सामुदायिक स्वयंसेवकों को वे कौशल प्रदान करना है जिनकी किसी आपदा के बाद समुदाय की तुरंत जरूरतों में कार्रवाई के लिए आवश्यकता होगी ताकि वे आपातकालीन स्थितियों जैसे बाढ़, आकस्मिक बाढ़ तथा शहरी बाढ़ के दौरान बुनियादी राहत तथा बचाव कार्यों को करने में सक्षम बन सके।

इस स्कीम के अंतर्गत, 25 परियोजना राज्यों से विधिवत् हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन प्राप्त हो गए हैं और सभी परियोजना लागू करने वाले राज्यों को फरवरी–मई, 2017 की अवधि के दौरान पहली किश्त 22,70,000/–रु. प्रति जिला (50%) फंड भी जारी कर दिए गए हैं। दूसरी तथा अंतिम किश्त 22,70,000/–रु. प्रति जिला (50%) के दर से 21 राज्यों अर्थात् असम, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, ओडिशा, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल, के 26 जिलों में जारी कर दिए गए हैं। अब तक कुल 4221 सामुदायिक स्वयंसेवकों को 23 परियोजना लागू करने वाले राज्यों द्वारा प्रशिक्षण दिए जा चुके हैं। इस परियोजना की क्रियान्वयन अवधि 31 मार्च, 2020 तक है।

भारत के 5 राज्यों के 10 बहु-विपदाग्रस्त जिलों में 'आपदा जोखिम में सतत कमी' पर परियोजना

5.4 परियोजना का उद्देश्य 10 सर्वाधिक–विपदाग्रस्त असुरक्षित जिलों (5 चिह्नित राज्यों अर्थात असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर और उत्तराखंड में से प्रत्येक में 2 जिले) में समुदाय और स्थानीय स्व–सरकार की तैयारी तथा मोचन को मजबूत करना है। इस स्कीम के तहत सभी 5 परियोजना राज्यों को फंड की पहली किश्त 39,63,200/–रु. (40%) की दर से और दूसरी किश्त 29,72,400/–रु. (30%) की दर से जारी की जा चुकी है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में तीसरी किश्त जारी की जा चुकी है। इस स्कीम की क्रियान्वयन अवधि 31 मार्च, 2020 तक है।

आपदा प्रबंधन केंद्र, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में 'आईएएस अधिकारियों तथा केंद्रीय सेवा अधिकारियों के लिए आपदा प्रबंधन पर क्षमता निर्माण' पर परियोजना

5.5 एनडीएमए ने लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में स्थित आपदा प्रबंधन केंद्र के सहयोग से, आईएएस तथा अन्य केंद्रीय सेवा के अधिकारियों का 3 वर्ष की अवधि अर्थात 2017–18 से 2019–20 के दौरान 189.36 लाख रु. की लागत पर नियमित अपडेट के साथ रिफ्रेशर तथा ओरिएंटेशन ट्रेनिंग कोर्सों की मूल शिक्षा प्रदान करने के लिए लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी स्थित आपदा प्रबंधन केंद्र में उनकी क्षमता निर्माण करने के लिए एक परियोजना को अनुमोदित किया है। इस परियोजना के लिए, आपदा प्रबंधन केंद्र (सीडीएम), लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी और एनडीएमए के बीच 12 फरवरी, 2018 को परियोजना की संपूर्ण अवधि के दौरान 2850 अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। 37,87,000/–रु. (60%) वित्तीय वर्ष 2018–19 की पहली किश्त सीडीएम, एलबीएसएनएए को सितंबर, 2018 महीना के दौरान जारी कर दी गई और वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए 25,5000/–रु. (40%) दूसरी किश्त फरवरी, 2019 को जारी कर दी गई थी। इसके अतिरिक्त एनडीएमए ने दो केस–अध्ययन के लिए, अर्थात केरल बाढ़ 2018 कारणों और जोखिम प्रशमन कार्यनीति और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में लू प्रबंधन पर जांच : लू के दिशानिर्देशों और कार्य–योजनाओं की कारगरता पर काम को शुरू करने के लिए फरवरी, 2019 को 30.87 लाख रु. की राशि जारी की गई थी। वित्तीय वर्ष–2018–19 (31 दिसंबर, 2018 तक की स्थिति में), में सीडीएम, एलबीएसएनएए में आपदा प्रबंधन में कुल 1063 अधिकारियों को प्रशिक्षण दिलाया जा चुका है।

राष्ट्रीय स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम (एनएसएसपी)

5.6 "राष्ट्रीय स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम (एनएसएसपी)", भारत सरकार की एक केंद्रीय क्षेत्र प्रदर्शनात्मक परियोजना है जिसका क्रियान्वयन एनडीएमए द्वारा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की

साझीदारी से किया गया था। यह परियोजना आपदा तैयारी और सुरक्षा उपायों पर बच्चों और स्कूल समुदायों को सुग्राही बनाने के लक्ष्य से भूकंपीय क्षेत्र IV एवं V में आए देश के 22 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में फैले हुए प्रति चिह्नित 43 जिलों (कुल 8600 स्कूल) में 200 स्कूल कवर करे गए हैं। इस कार्यक्रम की कार्यान्वयन अवधि 31 मार्च, 2019 तक है। 22 परियोजना राज्य/संघ शासित क्षेत्र में से 15 राज्यों ने उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए गए है। शेष राज्यों को उपयोगिता प्रमाणपत्र और परियोजना रिपोर्ट आदि जल्द से जल्द प्रस्तुत करने के अनुरोध के साथ अनुस्मारक जारी किए जा रहे हैं।

5.7 दिनांक 30 नवंबर, 2018 को, बाल केंद्रित आपदा जोखिम न्यूनीकरण तथा शिक्षा क्षेत्र संबंधित मैक्सिकन प्रतिनिधिमंडल जिसमें 15 सदस्य हैं, व्यापक स्कूल सुरक्षा तथा अन्य प्रासंगिक आपदा जोखिम न्यूनीकरण पहलों पर अनुभव साझा करने एनडीएमए कार्यालय आया था।

एनडीएमसी, दक्षिण अफ्रीका और एनडीएमए, भारत सरकार के बीच की बैठक :

5.8 दिनांक 6 फरवरी, 2019 को बीआरआईसीएस संयुक्त कार्य योजना (जेएपी) 2018–2020 और द्विपक्षीय सहयोग क्षेत्रों सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए, एनडीएमए अधिकारियों और डॉ. मम्फाका तौ, प्रमुख, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन केंद्र (एनडीएमएसी) के नेतृत्व में, दक्षिण अफ्रीका के प्रतिनिधियों, सहकारिता प्रशासन और पारंपरिक मामले विभाग, दक्षिण अफ्रीका गणतंत्र सरकार के बीच एक बैठक हुई थी।

भारतीय महासागर रिम एसोसिएशन (आईओआरए) सदस्य राज्यों की बैठक :

5.9 एनडीएमए (एमएचए) ने एमईए, एनडीआरएफ और भारतीय महासागर रिम एसोसिएशन (आईओआरए) सचिवालय के सहयोग से दिनांक 5–6 फरवरी, 2019 को प्रवासी भारतीय केंद्र, नई दिल्ली में "आपदा जोखिम प्रबंधन (डीआरएम) पर आईओआरए कलस्टर समूह की बैठक" का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। बैठक में भारत, इंडोनेशिया, मोजाम्बिक, श्रीलंका, आस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, मलेशिया, ओमान सहित आठ दक्षिण अफ्रीका में आईओआरए सदस्य राज्यों से तथा आईओआरए के वर्तमान अध्यक्ष सहित सरकारी प्रतिनिधियों के साथ विभिन्न हितधारकों द्वारा शामिल किए गए थे। इस बैठक के परिणामस्वरूप एक आकांक्षापूर्ण डीआरएम कार्य योजना (डीआरएमडब्ल्यूपी) तैयार की गई जो आईओआरए सदस्य राज्यों के बीच क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने में सहायक होगी।

वर्ष 2019–2020 में भारत में दूसरा बीआईएमएसटीईसी आपदा प्रबंधन अभ्यास:

5.10 भारत सरकार ने नई दिल्ली में, 2019 को दूसरे बीआईएमएसटीईसी (बिम्सटेक) आपदा प्रबंधन अभ्यास कार्यक्रम की मेजबानी करने का फैसला किया गया। इस संबंध में, 11 फरवरी, 2019 को एनडीएमए में एक अंतर–मंत्रालयी बैठक आयोजित की गई थी। अगस्त, 2019 को तैयारी बैठक का आयोजन करने और अक्तूबर, 2019 को अभ्यास शुरू करने का निर्णय लिया गया था। आपदा प्रबंधन क्षेत्र में बीआईएमएसटीईसी देशों से अधिकारियों के क्षमता निर्माण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम जीआईडीएम, गुजरात में आयोजित किया जाएगा। एनडीएमए ने बीआईएमएसटीईसी आपदा प्रबंधन सहकारिता पर एक संकल्पना नोट तैयार किया है और 26 मार्च, 2019 को एमएचए और एमईए को प्रस्तुत किया गया। संयुक्त सचिव (पीपी/सीबीटी) एनडीएमए को भी अंतर–सरकारी विशेषज्ञ समूह के लिए नामित किया गया, जो भारतीय विशेषज्ञ समूह का नेतृत्व करेगा। अंतर–सरकारी बैठक की प्रथम बैठक को 28 अगस्त, 2019 को आयोजित करने का भी प्रस्ताव है।

एससीओ सदस्य देशों के लिए शहरी भूकंप की खोज एवं बचाव पर संयुक्त एससीओ कृत्रिम अभ्यास, विशेषज्ञ स्तर की बैठक और एससीओ सदस्य राज्यों के आपदा रोकथाम विभागों के प्रमुखों की दसवीं बैठक का आयोजन।

5.11 भारत सरकार ने दिनांक 21—24 फरवरी, 2019 तक नई दिल्ली में एससीओ सदस्य देशों के लिए शहरी भूकंप की खोज एवं बचाव पर एक संयुक्त एससीओ कृत्रिम अभ्यास और 24 फरवरी, 2019 (अपराह्न) को विशेषज्ञ स्तर की बैठक तथा 25 फरवरी, 2019 को एससीओ सदस्य राज्यों के आपदा रोकथाम विभागों के प्रमुखों की दसवीं बैठक का आयोजन करने का निर्णय लिया गया था। इस संबंध में 1—2 नवंबर, 2018 को ली मेरिडियन हॉटल, नई दिल्ली में एससीओ संयुक्त अभ्यास—2019 के सुचारु संचालन के लिए एक तैयारी बैठक आयोजित की गई थी। दिनांक 6—8 फरवरी, 2018 को नई दिल्ली में एनडीआरएफ द्वारा एससीओ संयुक्त अभ्यास, 2019 की एक तीन दिवसीय संयुक्त एक्सकोन बैठक और प्रशिक्षण का भी संचालन किया गया। भारत सहित छह (6) एससीओ सदस्य राज्यों ने प्रशिक्षण कार्यक्रम में हिस्सा लिए थे। तथापि, फरवरी, 2019 को पुलवामा त्रासदी के लिए किए गए राष्ट्रीय शोक के कारण यह कार्यक्रम बाद की किसी तारीख के लिए स्थगित कर दिया गया।

अब एनडीएमए ने एनडीआरएफ के परामर्श से संयुक्त एससीओ कृत्रिम अभ्यास, 2019 विशेषज्ञ स्तर बैठक और एससीओ सदस्य राज्यों की आपदा रोकथाम विभागों के प्रमुखों की दसवीं बैठक के आयोजन के लिए एमएचए को क्रमशः 9—12 दिसंबर, 2019, 12 दिसंबर, 2019 (अपराह्न); और 13 दिसंबर, 2019 की तारीखों हेतु प्रस्ताव भेज दिया गया है।

स्कूल सुरक्षा नीति पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशानिर्देश

5.12 14 अगस्त, 2017 को भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार स्कूल सुरक्षा पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशानिर्देशों—2016, भारत के सभी स्कूलों में समयबद्ध तरीके से कार्यान्वित किया जा रहा है। दिशानिर्देशों की मॉनीटरिंग के लिए अक्तूबर, 2017 को स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (एमओएचआरडी) और एनडीएमए के सदस्यों की एक संयुक्त मॉनीटरिंग समिति (जेएमसी) का गठन भी की गई। जेएमसी की बैठक नियमित आधार पर की जा रही है; आखिरी जेएमसी बैठक संयुक्त सचिव (पीपी/सीबीटी), एनडीएमए की अध्यक्षता में भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए प्रयासों की समीक्षा के लिए दिनांक 23.01.2019 को हुई थी। रिपोर्ट का नियमित रूप से संकलन किया जा रहा है।

अस्पताल सुरक्षा पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशानिर्देश:

5.13 मानव जीवन के लिए अस्पताल सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, एनडीएमए ने अस्पताल सुरक्षा—2016 पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशानिर्देश तैयार किए गए, जिससे अस्पताल न केवल बेहतर तैयार रहे बल्कि आपदा के तुरंत बाद पूरी तरह कार्यशील रहें और बिना किसी विलंब के मोचन—कार्य कर सकें। ये दिशानिर्देश वैधानिक प्रकृति के हैं और इन्हें संकलित करने की आवश्यकता है। दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन की मॉनीटरिंग के लिए एनडीएमए ने एक मानक रिपोर्ट टेम्पलेट तैयार किया गया और सभी अस्पतालों में दिशानिर्देशों को कार्यान्वित करने तथा एनडीएमए को तिमाही रिपोर्ट भेजने के अनुरोध के साथ सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परिचालित किया गया। रिपोर्ट नियमित रूप से संकलित की जा रही है।

अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशनः (अमृत) शहरों में डीएम प्रदर्शनी और कृत्रिम कवायदः

5.14 डीएसजीपी/आईएसजीपी सम्मेलन—2018 के

दौरान निकाले गए कार्य बिंदुओं के अनुसार, प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों को कवर करते हुए अमृत सभी से संबंधित शहरों (500) में डीएम प्रदर्शनियों और कृत्रिम कवायद को किया जाना है।

5.15 उपर्युक्त गतिविधियों के आयोजन के लिए एनडीएमए ने विस्तृत दिशानिर्देश तथा रिपोर्टिंग प्रारूप को तैयार कर लिया गया है और सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सभी अमृत शहरों के स्कूलों में उपर्युक्त गतिविधियों को साल भर सतत् आधार पर एक के बाद एक आयोजन करने के अनुरोध तथा एनडीएमए, एमएचए, एमओयूडी और एमएचआरडी को विस्तृत करने के लिए परिचालित किए जाते हैं। रिपोर्ट नियमित रूप से संकलित की जा रही है।

अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता

5.16

- श्री अनिल कुमार संगी, संयुक्त सचिव, एनडीएमए ने 9–13 अप्रैल, 2018 तक, वॉशिंगटन, यूएसए में संकट प्रबंधन पर एटीए–आईएन16एससीएमएस01 संगोष्ठी में भाग लिया।
- डॉ. वी. तिरुपुगल, संयुक्त सचिव, एनडीएमए ने 17–18 अप्रैल, 2018 तक बीजिंग, चीन में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए दूसरी एशियाई विज्ञान और प्रौद्योगिकी सम्मेलन में भाग लिया।
- डॉ. वी. तिरुपुगल, संयुक्त सचिव, एनडीएमए ने 24–25 अप्रैल, 2018 को उलानबटार, मंगोलिया में आईएसडीआर एशिया पार्टनरशिप (आईएपी) की बैठक में भाग लिया।
- ले. जनरल एन.सी. मरवाह (सेवानिवृत्त), सदस्य, एनडीएमए ने पर्थ, आस्ट्रेलिया में 8–10 मई, 2018 को ईएएस अंतर्राष्ट्रीय आपदा सहायता कार्यशाला में भाग लिया।
- श्री कमल किशोर, सदस्य, एनडीएमए ने 14–18 मई, 2018 को, मैक्सिको सिटी में आपदा जोखिम न्यूनीकरण तथा पुनर्बहाली के लिए वैश्विक सुविधा (जीएफडीआरआर) के अंडरस्टैंडिंग रिस्क फोरम एंड स्प्रिंग 2018 कंसल्टेटिव ग्रुप (सीजी) में भाग लिया।
- ब्रिगेडियर अजय गंगवार, सलाहकार, एनडीएमए ने 6–9 जून, 2018 को मॉस्को, रूस में 11वीं अंतर्राष्ट्रीय एकीकृत संरक्षित और सुरक्षित प्रदर्शनी (आईएसएसई–2018) में भाग लिया।
- श्री प्रदीप कुमार, अपर सचिव एवं परियोजना निदेशक, एनसीआरएमपी ने 29 जून–1 जुलाई, 2018 को पूर्वी लंदन, दक्षिण अफ्रीका में आपदा प्रबंधन के लिए बीआरआईसीएस के मंत्रियों की बैठक और संबंधित बैठकों में भाग लिया।
- श्री आर. के. जैन और श्री कमल किशोर, सदस्य, एनडीएमए ने 3–6 जुलाई, 2018 को उलानबटार, मंगोलिया में एएमसीडीआरआर 2018 में भाग लिया।
- श्री रविनेश कुमार, वित्तीय सलाहकार ने 16–20 जुलाई, 2018 को यूनाइटेड किंगडम में कैंब्रिज विश्वविद्यालय में आपदा जोखिम वित्त पर कार्यकारी कार्यक्रम में भाग लिया।
- ले. कर्नल राहुल देवरानी, संयुक्त सलाहकार, एनडीएमए ने 30 जुलाई–10 अगस्त, 2018 को होनोलुलु, यूएसए में बड़ी आबादी के क्षेत्रों में डीएम और मानवीय सहायता आगामी स्वास्थ्य आपातस्थितियों में उत्कृष्टता के लिए केंद्र में (एच.ई.एल.पी.–हेल्प) में भाग लिया।

(xi) कर्नल अमित खोसला, संयुक्त सलाहकार, एनडीएमए ने 23 अगस्त, 2018 को विश्केक, किर्गिज गणराज्य में आपातकालीन परिस्थिति में जनता को सचेत करने के लिए राष्ट्रीय व्यापक प्रणाली पर एससीओ की कार्य समूह की बैठक में भाग लिया।

(xii) श्री रविनेश कुमार वित्तीय सलाहकार, एनडीएमए ने 25–26 सितंबर, 2018 को एडीबी मुख्यालय, मनीला फिलीपींस में आपदा जोखिम वित्तपोषण के लिए सक्षम वातावरण की मजबूती को बढ़ाने का विकल्प : वित्तीय समुत्थानशीलता पर क्षेत्रीय मंच में भाग लिया।

(xiii) डॉ. वी. तिरुपुगल, संयुक्त सचिव, एनडीएमए ने 1–5 अक्तूबर, 2018 को सेन फ्रांसिस्को खाड़ी क्षेत्र और सिलिकॉन वैली, कैलिफोर्निया में आपदा जोखिम निपटने के लिए नई प्रौद्योगिकियों की भूमिका की खोज में भाग लिया।

(xiv) श्री कमल किशोर, सदस्य, एनडीएमए ने 13–15 अक्तूबर, 2018 को टोक्यो, जापान में आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर दूसरी इंडो–जापान कार्यशाला में भाग लिया।

(xv) श्री कमल किशोर, सदस्य, एनडीएमए ने 7–9 नवंबर, 2018 को ब्रुसेल्स, बेल्जियम में जीएफडीआरआर के ज्ञान भागीदारी दिवस और एसीपी मंच दिवस सहित आपदा न्यूनीकरण और पुनर्बहाली हेतु वैश्विक सुविधा (जीएफडीआरआर) की 2018 परामर्शी समूह की बैठक में भाग लिया।

(xvi) डॉ. वी. तिरुपुगल, संयुक्त सचिव, एनडीएमए ने 27–29 नवंबर, 2018 को बॉन, जर्मनी में सेंडाई रूपरेखा निगरानी (एसएफएम) प्रक्रिया पर तकनीकी मंच में भाग लिया।

(xvii) श्री नवल प्रकाश, वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी, एनडीएमए, ने 3–5 दिसंबर, 2018 को काठमांडू, नेपाल में आपदा प्रबंधन पर 14वीं आरसीसी बैठक में भाग लिया।

(xviii) डॉ. पवन कुमार सिंह, संयुक्त सलाहकार, एनडीएमए ने 11–13 दिसंबर, 2018 को ताइपे, ताइवान में एपीसीएसएएस कार्यशाला– निजी, नागरिक और सार्वजनिक क्षेत्र के आपदा मोचन–कार्य के एकीकरण में भाग लिया।

(xix) श्री प्रदीप कुमार, अपर सचिव एवं परियोजना निदेशक, एनसीआरएमपी ने 11–14 दिसंबर, 2018 को बैंकॉक, थाइलैंड में राष्ट्रीय एवं स्थानीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यनीतियों पर सेंडाई रूपरेखा टार्गेट ई पर केंद्रित आईएसडीआर एशिया साझेदारी मंच और परामर्श कार्यशाला में भाग लिया।

(xx) ले. कर्नल राहुल देवरानी, संयुक्त सलाहकार, एनडीएमए ने 13–14 दिसंबर, 2018 को काठमांडू, नेपाल में नेपाल सरकार के साथ सुरक्षा मामलों पर नेपाल–भारत द्विपक्षीय परामर्शी समूह की 13वीं बैठक में भाग लिया।

(xxi) ब्रिगेडियर अजय गंगवार, सलाहकार, एनडीएमए ने 18–19 दिसंबर, 2018 को तेहरान में आपदा सूचना प्रबंधन पर उच्च स्तर विशेषज्ञ परामर्श में भाग लिया।

अध्याय 6

कृत्रिम अभ्यास एवं जागरूकता सृजन

प्रस्तावना

6.1 यह मानते हुए कि जागरूकता आपदा प्रबंधन और समुदाय तैयारी के प्रति सक्रिय दृष्टिकोण का आधार है, एनडीएमए ने इस संबंध में अनेक प्रयास प्रारंभ किए हैं। चालू कार्यक्रम के रूप में, राज्य/जिला/उद्यम स्तरों पर जागरूकता सृजन, योजना बनाने तथा संसाधनों में मौजूद खामियों की पहचान करने के लिए नियमित रूप से कृत्रिम अभ्यास/ड्रिलें संचालित की जा रही हैं। आपदा जोखिमों और असुरक्षितताओं के बारे में समुदाय को समझाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया का पूर्ण उपयोग किया जा रहा है। कृत्रिम अभ्यासों से राज्य सरकारों और जिला प्रशासन को आपदा प्रबंधन की अपनी कारगरता की समीक्षा करने और जन जागरूकता सृजित करने के साथ मोचन क्षमताओं के मूल्यांकन को सुकर बनाने में मदद मिली है। एनडीएमए इन अभ्यासों को राज्य सरकारों की सिफारिशों पर अति संवेदनशील जिलों और उद्योगों में संचालित करता है। इसके अलावा एनडीएमए 2016–17 से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटीज) को राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/जिला स्तर पर कृत्रिम अभ्यास के संचालन के लिए वित्तीय सहायता देने की एक स्कीम शुरू की गई थी। इस स्कीम के तहत प्रति कृत्रिम अभ्यास एक लाख रु. दिया जाता है। विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अपनी मांगों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2016–17 और 2017–18 को क्रमशः 4.19 करोड़ रु. और 1.17 करोड़ रु. की राशियां जारी की गई थीं। वर्तमान वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान इस स्कीम के तहत अब तक 2.54 करोड़ रु. जारी की गई है।

कृत्रिम अभ्यास

6.2 अब तक देश भर के कोने–कोने में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) द्वारा 788 कृत्रिम अभ्यास संचालित करे जा चुके हैं। इस वर्ष एनडीएमए द्वारा सभी हितधारकों के लिए राज्य/जिला के आपदा मोचन योजनाओं की पर्याप्तता और दक्षता के परीक्षण के प्राथमिक उद्देश्य के साथ निम्नानुसार निम्न प्रमुख कृत्रिम अभ्यास संचालित करे गए :

क्रम सं०	दिनांक	आपदा परिदृश्य का प्रकार	स्थान तथा राज्य
(क)	12.04.2018 से 26.04.2018 तक	भूकंप पर बहु राज्य स्तर के वृहत् कृत्रिम अभ्यास (एमई)	त्रिपुरा के 08 जिलों; मिजोरम के 07 जिलों और नगालैंड के 11 जिलों में एक साथ ।

6.3 नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों के क्षमता निर्माण : वित्त वर्ष 2018–2019 के लिए एनडीएमए द्वारा आपदा प्रबंधन पर नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों के लिए एक स्कीम शुरू की गई। इस स्कीम के तहत नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों को राज्य

अभिमुखीकरण और समन्वय सम्मेलन, मिजोरम

(ख)	05.06.2018 से 15.06.2018 तक	बाढ़ से निपटने की तैयारी पर राज्य स्तर के वृहत कृत्रिम अभ्यास	उत्तर प्रदेश (24 सर्वाधिक बाढ़ प्रवण जिलों के लिए)

(ग)	19.06.2018 से 25.06.2018 तक	(स्थलों की रेकी)अमरनाथ यात्रा–18 पर कृत्रिम अभ्यास	जम्मू और कश्मीर में गंदरबल जिलों में बालटाल और अनंतनाग जिलों में पहलगाम

जम्मू एवं कष्मीर के गंदरबल जिलों में बालटाल और अनंतनाग जिलों में पहलगाम

अमरनाथ यात्रा–2018 शुरू होने से पहले कृत्रिम अभ्यास

(घ)	17.09.2018 से 25.09.2018 तक	भूकंप पर बहु–राज्य कृत्रिम अभ्यास
सिक्किम में अभिमुखीकरण और समन्वय सम्मेलन		
(ङ)	23.10.2018 (अभिमुखीकरण एवं समन्वय सम्मेलन), 30.10.2018 (टेबल–टॉप अभ्यास) एवं 31.10.2018 (कृत्रिम अभ्यास)	भूकंप पर राज्य स्तर का वृहत् कृत्रिम अभ्यास
मेघालय में अभिमुखीकरण एवं समन्वय सम्मेलन		

<table>
<tr><td>(च)</td><td>01.11.2018 (अभिमुखीकरण एवं समन्वय सम्मेलन) 19.12.2018 (टेबल–टॉप अभ्यास) एव 20.12.2018 (कृत्रिम अभ्यास) भूकंप पर राज्य स्तर की वृहत् कृत्रिम अभ्यास।</td><td>असम</td><td>असम में अभिमुखीकरण सम्मेलन एवं समन्वय सम्मेलन</td></tr>
<tr><td colspan="4">
</td></tr>
<tr><td>(छ)</td><td>27.12.2018 (अभिमुखीकरण एवं समन्वय सम्मेलन) 28.12.2018 (टेबल–टॉप अभ्यास) एव 29.12.2018 (कृत्रिम अभ्यास)। कुंभ मेला के शुरू होने से पहले 11.01.2019 को (फाइनल) अंतिम कृत्रिम अभ्यास के दौरान समन्वय</td><td>कुंभ मेला के लिए तैयारी पर कृत्रिम अभ्यास</td><td>प्रयागराज जिला, उत्तर प्रदेश</td></tr>
<tr><td colspan="4">प्रयागराज जिले में मुखीकरण सम्मेलन एवं समन्वय सम्मेलन
</td></tr>
</table>

अग्निशमन सेवा प्रशिक्षण संस्थानों में 21 दिनों के प्रशिक्षण दिलाए गए। 30 नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों के प्रत्येक बैच के लिए 5 लाख रु. प्रदान किए गए। ओडिशा, असम, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के राज्यों में कुल 17 पाठ्यक्रम संचालित किए गए थे।

6.4 घटना मोचन प्रणाली (आईआरएस) : राज्यों तथा जिलों को अपने संबंधित क्षेत्र में इस मोचन तंत्र को लागू करने के लिए समर्थ बनाने हेतु एनडीएमए द्वारा घटना मोचन प्रणाली (आईआरएस) प्रशिक्षण आयोजित किया जाता है। इस प्रणाली में, राज्य सरकार तथा जिला प्रशासन के सभी नोडल अधिकारियों/आपातकालीन सहायता पदाधिकारियों (ईएसएफ) को शामिल करके टीमें बनाई जाती हैं ताकि किसी भी किस्म की आपदा के दौरान प्रभावित समुदायों की जरूरतों का समाधान किया जा सके। वर्ष 2018–19 के दौरान, त्रिपुरा, जम्मू और कश्मीर, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के राज्यों में 11.04.2018, 22.06.2018, 17.09.2018, 18.09.2018, 19.12.2018 और 11 जनवरी, 2019 को क्रमशः प्रशिक्षण कैप्सूलों का एनडीएमए द्वारा संचालन किया गया है। 11.10.2019 को उत्तराखंड में, 23.10.2019 को बिहार में और 17.10.2019 को लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र में तीन आईआरएस प्रशिक्षण योजनाबद्ध की गई हैं।

6.5 मानवीय सहायता और आपदा राहत (एचएडीआर) : एनडीएमए के सहयोग से सशस्त्र बलों द्वारा निम्नलिखित एचएडीआर अभ्यासों के संचालन किए गए।

(क) 05.04.2018 को नौसेना द्वारा कोच्चि (केरल) में चक्रवात पर एचएडीआर अभ्यास।

(ख) 25.09.2018 से 26.09.2018 तक वायुसेना द्वारा इलाहाबाद में भूकंप पर एचएडीआर अभ्यास।

(ग) 11 से 12 फरवरी, 2019 तक राजस्थान में सेवा द्वारा भूकंप पर एचएडीआर अभ्यास।

6.6 एसडीआरएफ का क्षमता निर्माण :

(क) एनडीएमए ने विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सीएपीएफ के प्रशिक्षण संस्थानों में एसडीआरएफ के प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान की।

(i) सीटीसी, सीआरपीएफ, कोयंबटूर।

(ii) बीआईडीआर, बीएसएफ आकदमी, टेकनपुर, ग्वालियर।

(iii) एफएसटीआई, एनआईएसए, सीआईएसएफ, सिकंदराबाद।

(iv) एनआईटीएसआरडीआर, आईटीबीपी, भानु, पंचकूला, चंडीगढ़।

(ख) एसडीआरएफ के क्षमता निर्माण के लिए निम्नलिखित पाठ्यक्रमों का संचालन किया गया।

(i) टीओटी पाठ्यक्रम एमएफआर/सीएसएसआर

(ii) बुनियादी पाठ्यक्रम एमएफआर/सीएसएसआर

(iii) बुनियादी पाठ्यक्रम सीबीआरएन

6.7 केरल बाढ़ 2018 : केरल बाढ़ 2018 का मोचन राज्य और केंद्रीय एजेंसियों के बीच एक अत्यधिक समन्वित प्रयास रहा था। उच्च स्तर पर राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति (एनसीएमसी) द्वारा मोचन और राहत कार्यों को मॉनिटर किया जा रहा था। एनडीएमए ने एनसीएमसी की बैठकों में भाग लिया। एनडीएमए ने राज्य के राहत प्रयासों के समन्वय को सुनिश्चित करने के लिए गैर–सरकारी संगठनों (एनजीओ) और केरल के बीच समन्वय को सुचारु बनाने के लिए एक बैठक आयोजित की गई। सदस्यों, एनडीएमए और संयुक्त सचिव, एनडीएमए की एक टीम ने 30.08.2018 से 01.09.2018 के दौरान केरल में

स्थल का दौरा किया। मुख्य सचिव तथा राज्य सरकार के अन्य अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की।

6.8 इंडोनेशिया सुनामी 2018 : भारत सरकार ने इंडोनेशिया को सुनामी तबाही के लिए 1 मिलियन यूएस डॉलर की राहत सामग्री प्रदान करने की मंजूरी दी थी। एनडीएमए ने राहत सामग्री को हवाई मार्ग द्वारा भेजने के लिए कम समय में विभिन्न हितधारक मंत्रालयों और विभागों के साथ समन्वित किया। हवाई मार्ग द्वारा भेजी गई राहत सामग्री में फील्ड अस्पताल, दवाई, टेंट, जेनेरेटर तथा ईंधन शामिल हैं। उपर्युक्त सामग्रियों के अलावा लगभग 40 डॉक्टर और सहायक भी भेजे गए।

6.9 कार्यशालाएं तथा सम्मेलन :

(i) एनडीएमए के सहयोग से जम्मू और कश्मीर आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एसडीएमए) ने दिनांक 03.10.2018 से 05.10.2018 तक श्रीनगर में एसडीआरएफ तथा आपदा प्रबंधन पर एक तीन दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें एनडीएमए से एक प्रतिनिधि और जम्मू और कश्मीर आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों, एसडीएमए, एसडीआरएफ, जम्मू और कश्मीर पुलिस, वायु सेना, अर्द्धसैनिक बल और अन्य संबंधित अधिकारियों ने भाग लिया था। सम्मेलन का समापन एक कृत्रिम अभ्यास के साथ हुआ।

श्रीनगर में एसडीआरएफ और आपदा प्रबंधन पर सम्मेलन

(ii) दिनांक 31.10.2018 को एनडीएमए के प्रतिनिधि के द्वारा 'आपातकलीन मोचन पर एकीकृत कंट्रोल रूम' के कार्यान्वयन पर एक प्रस्तुति दी।

(iii) एलबीएसएनएए, मसूरी में सीबीआरएन मामले के प्रबंधन, अग्निशमन सुरक्षा और खोज एवं राहत पर एक प्रस्तुति।

(iv) एसवीपी–एनपीए, हैदराबाद में भारत में आपदा प्रबंधन पर एक प्रस्तुति।

(v) "रासायनिक औद्योगिक आपदा जोखिम–पर बचाव उपाय और मोचन" पर गेल, नई दिल्ली में एक प्रस्तुति तथा व्याख्यान का आयोजन हुआ था।

(vi) एनबीसी सुरक्षा पर भारतीय वायु सेना स्कूल, नई दिल्ली में सीबीआरएन मामलों पर प्रबंधन पर एक प्रस्तुति–सहित–व्याख्यान।

6.10 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन सेवा (एनडीएमएस) संचार नेटवर्क :

एनडीएमए ने देश भर में 120 स्थानों पर (एमएचए, एनडीएमए, एनडीआरएफ मुख्यालय, 36 राज्य राजधानियों/संघ राज्य क्षेत्र मुख्यालय और 81 संवेदनशील आपदा जिलों) में उपग्रह आधारित आपदा प्रबंधन सेवा (एनडीएमए) संचार नेटवर्क प्रायोगिक परियोजना का सृजन किया गया है। परियोजना का उद्देश्य आपदा प्रभावित जिलों, संबंधित राज्य, एमएचए, एनडीएमए और एनडीआरएफ के ईओसी के बीच वॉइस–डेटा संचार को सुविधायुक्त बनाकर सुरक्षित संचार प्रदान करना। आपदा साइट से संचार को हाथ में आने वाले (हैंड–हेल्ड) आई–सेट फोन के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। परियोजना 31.03.2019 को पूर्ण हो चुकी है। एनडीएमए प्रायोगिक परियोजना के तहत 120 स्थानों में वीएसएटी संचार व्यवस्था के योजनाबद्ध आरेख (डायग्राम) निम्न प्रकार हैं।

6.11 एनडीएमएस प्रायोगिक परियोजना प्रशिक्षण : एनडीएमएस प्रायोगिक परियोजना के तहत, एनडीएमए ने 05 प्रशिक्षण कार्यशालाएं आयोजित की हैं, जिसमें अब तक विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/एमएचए/एनडीएमए/एनडीआरएफ से 128 कार्मिकों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। जनवरी, 2019 के महीने में देश भर में 12 बीएसएनएल आरटीटीसी में एनडीएमएस प्रायोगिक परियोजना पर 02 दिवसीय कार्यशालाएं भी आयोजित की गईं। एनडीएमए व एचएएम (हैम) रेडियो पर प्रशिक्षण का संचालन किया था।

6.12 सुभाष चन्द्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार

आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में व्यक्तियों तथा संस्थानों द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्य को पहचानने के लिए, भारत सरकार ने एक वार्षिक पुरस्कार प्रदान करने का निर्णय लिया। पुरस्कार को सुभाष चन्द्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार कहा जाएगा। प्रत्येक वर्ष 23 जनवरी को कुल 3 पुरस्कार घोषित किए जाने हैं। व्यक्ति और संस्थान, दोनों इसके लिए योग्य हैं। इस पुरस्कार में संस्थान के लिए 51,00,000/–रु. की राशि और व्यक्ति के लिए 5,00,000/–रु. की राशि शामिल है।

एनडीएमए ने वर्ष 2018 के लिए एसओपी तैयार की और आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी। इसकी प्रक्रिया के लिए एनडीएमए ने ऑनलाइन पंजीकरण और आवेदन के लिए www.dmawards.ndma.gov.in वेब पोर्टल तैयार किया। 7 जनवरी, 2019 तक प्राप्त सभी आवेदनों को इस उद्देश्य के लिए एनडीएमए में गठित अनुवीक्षण समिति द्वारा कार्रवाई की गई थी और निर्णायक समिति को रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। निर्णायक समिति ने नामों को शॉर्टलिस्ट किया गया। अंत, में दिनांक 23/01/2019 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने एनडीआरएफ की 8वीं बटालियन को वर्ष 2019 के लिए पुरस्कार विजेता के रूप में अनुमोदित किया था।

जागरूकता सृजन

6.13 जनता के बीच जागरूकता फैलाने के अपने प्रयास में, जन संपर्क एवं जागरूकता सृजन (पीआर एंड एजी) प्रभाग, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) ने इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से विभिन्न जन जागरूकता अभियान प्रारंभ किए। इनका फोकस जनता तक पहुंच कर आपदा प्रबंधन हेतु उचित वातावरण तैयार करने पर है। इन जागरूकता अभियानों का टी.वी., रेडियो, प्रिंट मीडिया, प्रदर्शनियों आदि के माध्यम से क्रियान्वयन किया जा रहा है। इन जागरूकता अभियानों के दो मुख्य उद्देश्य हैं:

क) आसन्न आपदाओं (भूकंप, चक्रवात, बाढ़, भूस्खलन आदि) के लिए नागरिक को तैयार करना।

ख) आपदा की स्थितियों को टालने के लिए विभिन्न निवारक और प्रशमन उपायों पर लोगों को जानकारी तथा शिक्षा प्रदान करना।

6.14 वर्ष 2018–19 (31.03.2019 तक की स्थिति के अनुसार) के दौरान निम्नलिखित जागरूकता अभियान चलाए गए:–

श्रव्य-दृश्य अभियान

6.15 दूरदर्शन/आकाशवाणी/डिजिटल सिनेमा/निजी एफएम रेडियो– दूरदर्शन (राष्ट्रीय नेटवर्क और दूरदर्शन के क्षेत्रीय केंद्र) और आकाशवाणी पर भूकंप, बाढ़, शहरी बाढ़, भूस्खलन, लू और चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाओं पर ऑडियो–वीडियो स्पॉटों का प्रसारण किया गया। प्रत्येक आपदा पर 30/40/50 सेकेंडों के अनेक स्पॉटों का उनके संबंधित आपदा प्रवण क्षेत्रों में 7/10/15 दिनों के लिए एक शफलिंग बेसिस पर प्रसारण किया गया। इसी प्रकार इन सभी अभियानों (सिवाय भूकंप के) को एनएफडीसी के माध्यम से डिजिटल सिनेमा और निजी एफएम रेडियो चैनलों पर भी चलाया गया। इन अभियानों का विवरण निम्नानुसार है:–

क्रम सं०	अभियान/स्पॉट का विषय	भाषा	उन राज्यों/क्षेत्र का नाम जहां स्पॉट को चलाया गया	प्रसारण माध्यम	अवधि
1	बाढ़ 1. अम्मा 2. मैं तैयार हूँ 3. अनेकता में एकता (03 स्पॉट)	हिंदी, असमी, बंगला, गुजराती, भोजपुरी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मराठी, ओडिया, तमिल, तेलुगु, अंग्रेजी (प्रसारण के लिए नहीं)	आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, दिल्ली एनसीटी, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल।	दूरदर्शन आकाशवाणी	14/6 से 20/6/18 तक 29/6 से 5/7/18 तक
2	शहरी बाढ़ 1. शहरी बाढ़ से बचाव (30 सेकेंड) 1. बाढ़ से पहले 2. बाढ़ के दौरान 3. बाढ़ के बाद हिंदी और अंग्रेजी (60 सेकेंड)		10 लाख के ऊपर की जनसंख्या के सभी शहरी समूह, खास तौर पर निम्नलिखित शहर :– चेन्नई, हैदराबाद, भुबनेश्वर, बैंगलोर	दूरदर्शन एआईआर डिजिटल सिनेमा (एनएफडीसी) एफएम रेडियो (एनएफडीसी)	31/7 से 6/8/18 तक 23/6 से 29/6/18 तक 29/6 से 5/7/18 तक 29/6 से 5/7/18 तक
3	बिजली गिरना (लाइट्निंग) 60 सेकेंड (स्पॉट)	हिंदी/अंग्रेजी	प्रसार भारती दूरदर्शन के चैनलों/क्षेत्रीय केंद्रों बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा तटीय राज्य/यूटी, आंध्र प्रदेश, गुजरात, गोवा, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल संघ राज्य क्षेत्र अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, दमन एवं द्वीप, दादरा नगर हवेली, लक्षद्वीप, पुड्डुचेरी	दूरदर्शन	15/6/18 से 21/6/2018 7 दिन

4	1. लू मौत बन सकती है 2. प्राथमिक चिकित्सा (एंबुलेंस के पहुंचने से पहले) 3. सामान्य गर्मी संबंधी सावधनियां (लू से बचने के लिए) 4. गर्मी का पूर्वानुमान (लू चेतावनी प्रणाली का महत्व) 5. घर के अंदर–घर से बाहर कार्यरत कामगारों/ झुग्गी–झोपड़ी वासियों पर लू के असर 6. नवजात तथा छोटे बच्चों पर लू के असर 7. पशुओं/ पक्षियां पर लू के असर 8. दया–धर्म के लघु कार्य	हिंदी, अंग्रेजी	1. आंध्र प्रदेश 2. बिहार 3. छत्तीसगढ़ 4. दिल्ली/ एनसीटी 5. गुजरात 6. झारखंड 7. कर्नाटक 8. मध्य प्रदेश 9. महाराष्ट्र 10. ओडिशा 11. राजस्थान, 12. तेलंगाना, 13. उत्तर प्रदेश 14. पश्चिम बंगाल	दूरदर्शन आकाशवाणी डिजिटल सिनेमा (एनएफडीसी)	16/4 से 25/4/18 तक बोनस टेलिकास्ट 5/4 से 14/4/18 29/5 से 7/6/18 तक
5	चक्रवात (02 स्पॉट) 1. मछुआरा 2. घर फिर बन जाएगा	हिंदी, बंगला, उड़िया, तेलुगु, मराठी, गुजराती, तमिल, असमी, कन्नड़, मलयालम	1. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 2. आंध्र प्रदेश 3. दादरा और नगर हवेली 4. दमन और दीव 5. गोवा 6. गुजरात 7. कर्नाटक 8. केरल 9. महाराष्ट्र 10. ओडिशा 11. पुड्डुचेरी 12. तमिलनाडु 13. पश्चिम बंगाल	दूरदर्शन आकाशवाणी डिजिटल सिनेमा (एनएफडीसी) डिजिटल सिनेमा (डीएवीपी)	20/5 से 3/6/18 तक (बोनस टेलिकास्ट) 10/10/18 से 16/10/18 तक (उत्तर–पूर्वी मॉनसून) 1. 01/06/18 से 15/6/18 2. 11/10 से 17/10/18 (उत्तर–पूर्वी मॉनसून) 09/6/18 से 18/6/18 तक 19/10/18 से 25/10 18 तक

6	बाढ़ (उत्तर–पूर्वी मॉनसून) 60 सेकेंड स्पॉट 10 दिन	हिंदी, अंग्रेजी	प्रसार भारती दूरदर्शन के चैनलों / क्षेत्रीय केंद्रों (आरएलएसएस– बंगलुरू) भुबनेश्वर, चैन्नई एवं विजयवाड़ा	डीडी (प्रसार भारती)	02 / 11 / 18 से 11 / 11 / 2018 तक
7	भूस्खलन 1. हमारी गलती 2. भूगर्भ विज्ञानी 3. डाकिया	हिंदी, असमी, मणिपुरी, खासी, गारो, नेपाली और मिजो	पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, गोवा, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक	दूरदर्शन आकाशवाणी डिजिटल सिनेमा (एनएफडीसी) निजी एफएम रेडियो (एनएफडीसी)	21 / 7 / से 27 / 7 / 2018 तक 25 / 7 / 18 से 31 / 7 / 18 तक 28 / 7 / 18 से 03 / 8 / 18 तक 28 / 7 / 18 से 03 / 8 / 18 तक
8	चक्रवात पाबुक (06 स्पॉट) (60 सेकेंड)	हिंदी, अंग्रेजी	अंडमान एवं निकोबार	आकाशवाणी प्रमुख चैनल (पोर्ट ब्लेयर केंद्र) और क्षेत्रीय समाचार (पोर्ट ब्लेयर)	05 / 01 / 19 से 7 / 01 / 19 तक (03 दिन)
9	शहरी बाढ़ (60 सेकेंड)	हिंदी / अंग्रेजी	प्रचार भारती के चैनलों / क्षेत्रीय केंद्रों, आकाशवाणी, तमिलनाडु, कर्नाटक, ओडिशा और आंध्र प्रदेश	(प्रसार भारती) आकाशवाणी	03 / 11 / 18 से 12 / 11 / 2018
10	बाढ़ (उत्तर–पूर्वी मानसून) (60 सेकेंड)	हिंदी / अंग्रेजी	दूरदर्शन, प्रसार भारती के चैनलों / क्षेत्रीय केंद्र, आकाशवाणी, तमिलनाडु, कर्नाटक, ओडिशा और आंध्र प्रदेश / तेलंगाना	(प्रसार भारती) आकाशवाणी	03 / 11 / 18 से 12 / 11 / 2018 तक
11	भूकंप	हिंदी / अंग्रेजी	दूरदर्शन, प्रसार भारती के क्षेत्रीय केंद्र	दूरदर्शन / प्रसार भारती	14.12.2019 से 28.02.2019 (15 दिन)

प्रिंट अभियान

6.16 डीएवीपी के माध्यम से विभिन्न अखबारों में जागरूकता सृजन संबंधी सामग्री को प्रिंट करा कर प्रिंट मीडिया का भी उपयोग किया गया।

i) आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली एनसीटी, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के राज्यों हेतु निम्नलिखित भाषाओं–अंग्रेजी,

हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं, में तीन तरह के अखबारों नामतः बड़े, मध्यम आकार तथा छोटे आकार में लू प्रवण इलाकों पर 25/05/2018 (आधा पेज) की जागरूकता सृजन सामग्री पर विज्ञापन प्रकाशित किए गए।

ii) आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, दिल्ली एनसीटी, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल के राज्यों हेतु निम्नलिखित भाषाओं–अंग्रेजी तथा क्षेत्रीय भाषाओं में तीन तरह के अखबारों नामतः बड़े, मध्य आकार तथा छोटे आकार में बाढ़ पर 20/06/2018 (आधा पेज) (विशिष्ट रूप से बाढ़ प्रभावित इलाकों में) की जागरूकता सृजन सामग्री पर विज्ञापन प्रकाशित किया गया।

iii) हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नगालैंड, मिजोरम, उत्तराखंड और मेघालय के राज्यों के लिए निम्नलिखित भाषाओं–अंग्रेजी, हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में तीन तरह के अखबारों अर्थात् बड़े, मध्यम आकार तथा छोटे आकार में भूस्खलन प्रवण इलाकों में बाढ़ पर 02/08/2018 (चौथाई पेज) की भूस्खलन पर जागरूकता सृजन सामग्री पर विज्ञापन प्रकाशित किए गए।

iv) अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, आंध्र प्रदेश, दादर और नागर हवेली, दमन और दीव, गोवा, गुजरात, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा, पुड्डुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के राज्यों के लिए निम्नलिखित भाषाओं– अंग्रेजी, हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में तीन तरह के अखबारों नामतः बड़े, मध्यम आकार तथा छोटे आकार के चक्रवात–प्रवण इलाकों में चक्रवात पर 10/10/2018 (आधा पेज) की जागरूकता सृजन सामग्री का विज्ञापन प्रकाशित किया गया।

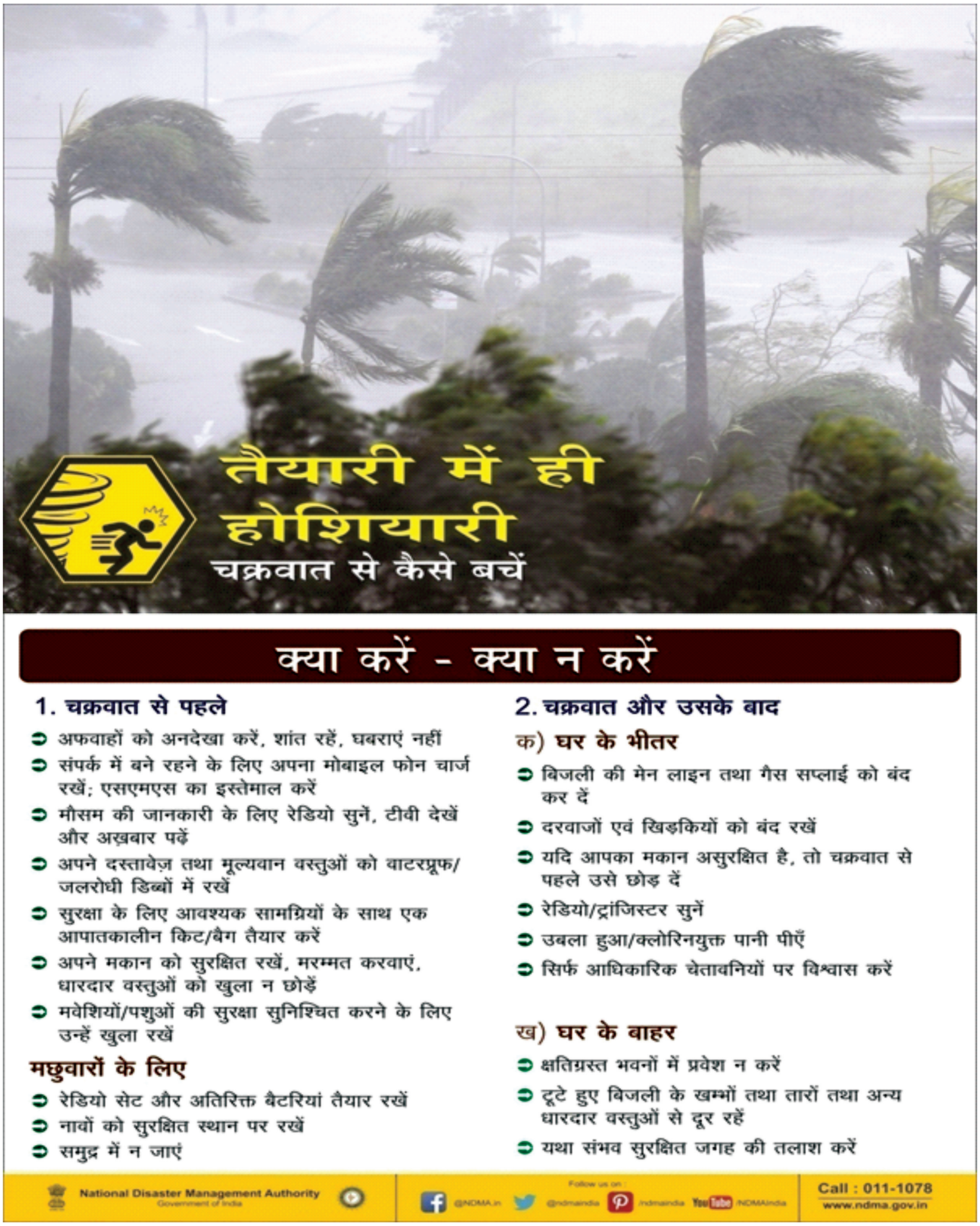

v) झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, दमन और दीव, पुड्डुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के राज्यों के निम्नलिखित भाषाओं–अंग्रेजी, हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में तीन तरह के अखबारों अर्थात् बड़े, मध्यम आकर तथा छोटे आकर में बिजली कड़कने/गिरने के संभावित प्रवण इलाकों में 07/06/2018 (आधा पृष्ठ) की जागरूकता सृजन सामग्री का विज्ञापन प्रकाशित किया गया।

एनडीएमए के 14वें स्थापना दिवस का मनाया जाना

6.17 दिनांक 27 नवंबर, 2018 को अशोक होटल, नई दिल्ली में 14वां स्थापना दिवस मनाया गया। श्री किरेन रिजिजू, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने मुख्य अतिथि के रूप में इस समारोह की शोभा बढ़ाई। इस समारोह पर इस साल के विषय (थीम)–"आपदाओं के लिए पूर्व–चेतावनी पर बोलते हुए, श्री किरेन रिजिजू ने कहा कि आपदाओं के प्रति आपदा जागरूकता बढ़ाते हुए और पूर्व–चेतावनी प्रणाली में सुधार करके आधा युद्ध जीता जा सकता है।"

6.18 हाल की कुछ घटनाओं की पृष्ठभूमि में, जहां मछुआरे पूर्व–चेतावनी दिए जाने के बावजूद बेखबर होकर फंस गए, गहरे समुद्र में मछुआरों को चेतावनी प्रसार करने के संबंध में विशिष्ट मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई। एनएवीआईसी (नाविक) उपग्रह नक्षत्र जैसे विभिन्न तकनीकी उपकरणों का कार्य, जो मछुआरों को अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में चेतावनी प्रदान करें।

6.19 बिजली कड़कने और आंधी–तूफान, राज्य और जिला स्तरीय पूर्व–चेतावनी कार्रवाई योजनाओं, पूर्व–चेतावनी के प्रसार में समुदायों और मीडिया की भूमिका पर भी चर्चा की गई।

6.20 हितधारकों ने समयबद्ध और सटीक पूर्व–चेतावनी जारी करने में रोडमैप, उनकी भूमिकाओं और चुनौतियों तथा असुरक्षित समुदायों सहित संबंधित हितधारकों तक इसके प्रसार पर भी चर्चा की।

6.21 समापन भाषण देते हुए डॉ. पी.के मिश्रा, माननीय प्रधानमंत्री के अपर प्रधान सचिव ने किसी आपदा के दौरान पूर्व–चेतावनी प्रणाली की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। उन्होंने सर्वत्र संपर्कता सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया।

6.22 इस अवसर पर, खतरा–रोधी निर्माण पर राज–मिस्त्रियों के प्रशिक्षण पर एक नियम–पुस्तिका (मैनुअल) और वर्ष– 2017 की गुजरात बाढ़ पर एक अध्ययन रिपोर्ट का विमोचन भी किया गया।

एनडीएमए ई-न्यूजलेटर और ब्लॉग

6.23 एक नई डिजिटल पत्रिका और एक आधिकारिक ब्लॉग, दोनों का नाम "आपदा संवाद", एनडीएमए, एसडीएमए के बड़े कार्यकलापों, डीआरआर पर सफलता की कहानियों, विशेषज्ञ के इंटरव्यू आदि के बारे में हितधारकों को सूचना देने के लिए किया गया। इस पत्रिका को नियमित रूप से प्रकाशित तथा प्रमुख मीडिया हाउसों के संपादकों सहित विभिन्न हितधारकों के साथ व्यापक रूप से साझा किया गया। इसी तरह, ब्लॉग को भी नियमित रूप से अपडेट करा जाता है। इनकी पहुंच को सोशल मीडिया पर विभिन्न तकनीकों के उपयोग से भी इष्टतम स्तर तक पहुंचाया जाता है।

अन्य

- महत्वपूर्ण बैठकों, कार्यशालाओं, सम्मेलनों के लिए नियमित रूप से प्रेस विज्ञप्ति (रिलीज) जारी की गई।

सोशल मीडिया अभियान

6.24 निवारण, प्रशमन और तैयारी से संबंधित संदेशों को पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया पर जागरूकता अभियान शुरू किया गया। इन सोशल मीडिया अभियानों में लू, बाढ़, शीत लहर, शहरी बाढ़, भूकंप, सीबीआरएन आपातकालीन परिस्थिति, चिकित्सा सहायता, तनाव प्रबंधन, अस्पताल सुरक्षा, गैस लीकेज सुरक्षा, बिजली गिरना, अग्नि सुरक्षा और चक्रवात से संबंधित क्या करें तथा क्या न करें हिदायतें शामिल हैं। #लू सुरक्षा, #लू जागरूकता, #भूकंप सुरक्षा, #बाढ़ सुरक्षा, #शहरी बाढ़, #बिजली गिरने संबंधित सुरक्षा, #शीत लहर, #परमाणु आपातकालीन, #घर की सुरक्षा, #रासायनिक आपातकालीन, #चक्रवात सुरक्षा और #अग्नि शमन सुरक्षा आदि हैश टैग का उपयोग किया गया है। इन हैश टैगों से एनडीएमए के सोशल मीडिया चैनलों को अत्यधिक ऑनलाइन दर्शक बढ़ाने के काम में मदद मिली।

एनडीएमए लू, शीत लहर, भूस्खलन, भूकंप, हिमस्खलन, सीबीआरएन आपातस्थिति, बाढ़, शीत दंश, बुनियादी चिकित्सा सहायता, अस्पताल प्रबंधन, तनाव प्रबंधन, अग्नि सुरक्षा, घर की सुरक्षा,

धुंध आदि पर 24 घंटे सातों दिन अभियान चल रहा है। इन अभियानों का मुख्य उद्देश्य लोगों के बीच जागरूकता सृजित करना है। एनडीएमए द्वारा चलाए गए इन अभियानों में चित्रात्मक संकेतों (पिक्टोरियल टेम्पलेट्स) के माध्यम से आपदाओं पर क्या करें तथा क्या न करें की हिदायतों का प्रचार–प्रसार शामिल है। यह विविध अभियान भी चलाते हैं जिसमें आपदा प्रबंधन से संबंधित खबरों के लिंकों, एनडीएमए ब्लॉग और आपदा संवाद (ई–पत्रिका) की अपडेटिंग शामिल हैं। 1,02,000 ट्वीटर और 2,52,099 फेसबुक पर मौजूद फॉलोअर्स के साथ इतनी बड़ी संख्या के फॉलोअर्स में एनडीएमए की आपदा जागरूकता पर अपडेटों को सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर व्यापक रूप से शेयर किया जाता है। संकट के समय, एनडीएमए सोशल मीडिया के माध्यम से ऑनलाइन सहायता प्रदान करता है और प्रभावित समुदायों की मदद करता है। किसी आपदा के दौरान प्राप्त संदेशों को सशस्त्र बल और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) के साथ साझा किया जाता है और तदनुसार राहत और पुनर्वास का काम किया जाता है।

ट्वीटर रिपोर्ट

6.25 इंप्रेशन/रीच : एनडीएमए के ट्वीटर और फेसबुक की अपडेटें बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंच रही हैं। न केवल यह उनके निजी खातों पर नजर आती है, बल्कि वे इन्हें आगे भी शेयर करते हैं। इस प्रकार ये अपडेटें द्वितीयक उन प्रयोक्ताओं (सेकेंडरी यूजर्स) तक भी पहुंच रही हैं जो एनडीएमए के अकाउंट्स को फॉलो करते या नहीं कर रहे हैं, लेकिन वह भी इसकी अपडेटों को पढ़ रहे हैं।

ट्वीटर रिपोर्ट

- 31 मार्च, 2018 को फॉलोअर्स : 66,155
- 31 मार्च, 2019 को फॉलोअर्स : 1,02,000
- फॉलोअर्स की बढ़ी हुई संख्या : 35,845

फेसबुक रिपोर्ट

- 31 मार्च, 2018 को फॉलोअर्स : 2,43,405
- 31 मार्च, 2019 को फॉलोअर्स : 2,52,099
- फॉलोअर्स की बढ़ी हुई संख्या : 8,694

6.26 विशेष सोशल मीडिया अभियान

- प्राकृतिक तथा मानव जनित आपदाओं पर खबरें आपदा सुरक्षा पर जागरूकता सृजन के अतिरिक्त, एनडीएमए दुर्घटनाओं जैसे हादसों पर समाचार प्रकाशित करता है। एनडीएमए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) जैसे संगठनों द्वारा किए गए बचाव और राहत कार्यकलापों पर अपडेटों को भी प्रकाशित करता है।

  दुनिया के कोने–कोने भर से संबंधित विषय और सूचना को भी प्रकाशित किया गया।

- फॉलोअर्स

  एनडीएमए के सोशल मीडिया अकाउंट्स को सुविख्यात व्यक्तियों, एनजीओ, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों, कई देशों की सरकारी एजेंसियों, कई मीडिया संगठनों के सीईओ तथा सत्यापित अकाउंट धारकों द्वारा फॉलो करा जाता है।

- वाट्सएप ग्रुप

  आपदा से संबंधित प्रासंगिक सूचना तथा खबरों को प्रशासकों और विशेषज्ञों के एक समूह के साथ साझा करते हैं।

- अन्य गतिविधियां

  जागरूकता सृजन इंस्टाग्राम और पिन्ट्रेस्ट जैसे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर भी किया जा रहा है।

अध्याय 7

प्रशासन एवं वित्त

सामान्य प्रशासन

एन.डी.एम.ए. सचिवालय

7.1 एन.डी.एम.ए. सचिवालय में पांच प्रभाग शामिल हैं जिनके नाम इस प्रकार हैं–(i) नीति, योजना, पुनर्वास एवं पुनर्बहाली, जागरूकता सृजन प्रभाग और क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण प्रभाग, (ii) प्रशमन प्रभाग, (iii) प्रचालन और संचार प्रभाग, (iv) प्रशासन तथा समन्वय प्रभाग और (v) वित्त और लेखा प्रभाग।

नीति, योजना, पुनर्वास एवं पुनर्बहाली, क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण और जागरूकता सृजन प्रभाग

7.2 यह प्रभाग सभी केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों की नीतियों, दिशानिर्देशों के निर्माण और योजनाओं के अनुमोदन और सभी राज्यों में क्षमता निर्माण एवं जागरूकता से जुड़े सभी मामलों को देखता है। आपदा प्रबंधन को विकास योजनाओं में शामिल कराना भी इस प्रभाग का महत्त्वपूर्ण कार्य है। जनसंपर्क कार्य और जागरूकता सृजन भी इस प्रभाग का एक अन्य कार्य है। यह प्रभाग क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण के लिए विभिन्न कार्यकलाप तथा परियोजनाओं का संचालन करता है।

7.3 जनसंपर्क कार्य और जागरूकता सृजन इस प्रभाग का एक अन्य प्रमुख कार्य है जो एन.डी.एम.ए. द्वारा देखे जाने वाला एक प्रमुख विषय है। इस प्रभाग ने इस प्रयास को पूरा करने और यह सुनिश्चित करने का काम अपने हाथ में ले रखा है कि तैयारी की संस्कृति सभी स्तरों पर उत्पन्न की जाए। यह जमीनी स्तर पर समुदाय और अन्य हितधारकों को शामिल करने के साथ–साथ, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट, दोनों संचार साधनों के उपयोग से जागरूकता सृजन करने की अवधारणा बनाने और निष्पादन का काम भी करता है। इस प्रभाग में कुल स्वीकृत कर्मचारी (स्टाफ) की संख्या 20 है जिनमें एक सलाहकार (संयुक्त सचिव स्तर का), चार संयुक्त सलाहकार (निदेशक स्तर के), चार सहायक सलाहकार (अवर सचिव स्तर के), एक अनुभाग अधिकारी तथा दस सहायक स्टाफ शामिल हैं।

प्रशमन प्रभाग

7.4 इस प्रभाग के उत्तरदायित्वों में केंद्रीय सरकार और राज्यों के साथ मिलकर राष्ट्रीय स्तर पर जोखिम प्रशमन परियोजनाओं (चक्रवातों, भूकंपों, बाढ़ों, भूस्खलनों जैसे खतरे और अबाधित संचार व्यवस्था और सूचना प्रौद्यागिकी योजना आदि) का काम करना शामिल है। यह माइक्रोजोनेशन, असुरक्षितता विश्लेषण आदि जैसी परियोजनाओं के मार्गदर्शन तथा उनसे जुड़े विशेष अध्ययनों का कार्य भी कराता है। यह मंत्रालयों द्वारा स्वयं चलाई जा रही प्रशमन परियोजनाओं के डिजाइन और कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण तथा अनुवीक्षण (मॉनिटर) भी करता है। इस प्रभाग में कुल स्वीकृत कर्मचारियों की संख्या 14 है जिनमें एक सलाहकार (संयुक्त सचिव स्तर), दो संयुक्त सलाहकार (निदेशक स्तर के), दो सहायक सलाहकार (अवर सचिव स्तर के) और नौ सहायक स्टाफ हैं।

प्रचालन और संचार प्रभाग

7.5 एन.डी.एम.ए. को आपदा की स्थिति में सरकार को सलाह देने के लिए सदैव तैयार रहना अनिवार्य है जिसके लिए इसे नवीनतम सूचना से पूर्ण परिचित रहना अनिवार्य है। इसके लिए एन.डी.एम.ए. के पास दिन–रात आपदा विनिर्दिष्ट सूचना और आंकड़ों संबंधी जानकारी (इनपुट) देने की सुविधा के लिए एक प्रचालन केंद्र है। यह प्रभाग किसी आपदा के मोचन चरण के दौरान सभी हितधारकों के प्रयासों का मार्गदर्शन करता है। इसकी देश के प्रथम मोचकों के प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण में प्रमुख भूमिका है। यह प्रभाग केंद्रीय एजेंसियों, सशस्त्र बलों तथा सीएपीएफ समेत सभी हितधारकों की भागीदारी को सुनिश्चित करते हुए राज्य तथा बहु–राज्य स्तर के कृत्रिम अभ्यासों का संचालन करता है। यह प्रभाग आईआरएस पर प्रशिक्षण समेत प्रशिक्षण कार्यकलापों से संबंधित आपदा प्रबंधन के कार्य तथा देश में शीर्ष संस्थानों में जागरूकता बढ़ाने के काम में भी संलिप्त है। इसके अलावा, यह प्रभाग पुनर्वास तथा पुनर्बहाली से जुड़े कार्यों से भी निकटता से जुड़ा रहता है। यह प्रभाग सभी केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों की संकट प्रबंधन योजनाओं की जांच करता है।

7.6 यह प्रभाग एनडीएमए के लिए संचार तथा आईटी से संबंधित समाधानों को लागू करता है। यह संचार, आईटी, जीआइएस के क्षेत्र में सभी केंद्रीय तथा राज्य के मंत्रालयों/विभागों को सलाह देता है तथा उनके क्षमता निर्माण में मदद करता है। इस प्रभाग में कुल स्वीकृत स्टाफ संख्या 15 है जिनमें एक सलाहकार (संयुक्त सचिव स्तर), दो संयुक्त सलाहकार (निदेशक स्तर के), तीन सहायक सलाहकार (अवर सचिव स्तर के), दो ड्यूटी अधिकारी (अवर सचिव स्तर के) और सात सहायक स्टाफ हैं।

प्रशासन और समन्वय प्रभाग

7.7 यह प्रभाग प्रशासन और समन्वय के सभी पहलुओं के लिए उत्तरदायी है। इसके कार्यकलापों में मंत्रालयों/विभागों तथा राज्यों के साथ व्यापक विचार–विमर्श/पत्राचार/तालमेल (इंटरफेस) रखना शामिल है। इस प्रभाग में कुल स्वीकृत स्टाफ संख्या 22 है जिनमें अपर सचिव, एक निदेशक, दो अवर सचिव, एक सहायक निदेशक (राजभाषा), दो अनुभाग अधिकारी और 15 सहायक स्टाफ हैं।

वित्त और लेखा प्रभाग

7.8 वित्त और लेखा प्रभाग लेखा–अनुरक्षण रखने, बजट बनाने, प्रस्तावों की वित्तीय संवीक्षा आदि विषयक कार्य करता है। यह प्रभाग व्यय की प्रगति को मॉनिटर भी करता है तथा अपनी प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों के अंतर्गत आने वाले सब मामलों पर एन.डी.एम.ए. को सलाह देता है। इस प्रभाग में कुल स्वीकृत कर्मचारियों की संख्या आठ है जिनमें एक वित्तीय सलाहकार ;संयुक्त सचिव स्तरद्ध, एक निदेशक, एक सहायक वित्तीय सलाहकार ;अवर सचिव स्तर काद्ध, एक अनुभाग अधिकारी, दो सहायक अनुभाग अधिकारी (ए.एस.ओ.) और दो सहायक स्टाफ हैं। इसके कार्यों और उत्तरदायित्वों का ब्यौरा निम्न प्रकार है:

- प्रत्यायोजित शक्तियों के क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सब मामलों पर एन.डी.एम.ए. को सलाह देना।
- स्कीम और महत्त्वपूर्ण व्यय प्रस्ताव तैयार करने में, उनसे उनके आरंभिक चरणों से ही, निकटता से जुड़े रहना।
- लेखा–परीक्षा आपत्तियों, निरीक्षण रिपोर्टों, प्रारूप लेखा परीक्षा पैराग्राफों आदि के निपटारे का काम देखना।
- लेखा परीक्षा रिपोर्टों, लोक लेखा समिति (पी.ए.सी.) और प्राक्कलन समिति की रिपोर्टों पर तत्परता से कार्रवाई सुनिश्चित करना।
- आवधिक रिपोर्टों और विवरणियों की समय

से प्रस्तुति को सुनिश्चित करना।

- एनडीएमए के बजट को तैयार करना तथा उसकी मॉनिटरिंग का काम।

एन.डी.एम.ए. के लिए बजट तैयार करना तथा उसकी मॉनीटरिंग करना

7.9 एन.डी.एम.ए. के खातों (अकाउंट्स) का हिसाब–किताब मुख्य लेखा नियंत्रक (सी.सी.ए.) कार्यालय, गृह मंत्रालय द्वारा रखा जाता है: एन.डी.एम.ए. के भुगतान तथा प्राप्ति कार्यकलापों का प्रबंध भी मुख्य लेखा नियंत्रक (सी.सी.ए.) गृह मंत्रालय के पर्यवेक्षण के अंतर्गत वेतन एवं लेखा कार्यालय, एन.डी.एम.ए. द्वारा किया जाता है।

वित्त और बजट:

अप्रैल, 2018 से मार्च, 2019 की अवधि के लिए ओ.डी.एम.पी., एन.सी.आर.एम.पी. के अंतर्गत बजट अनुमान, संशोधित अनुमान एवं व्यय तथा स्थापना प्रभार

(हजार रुपए)

परियोजना का नाम	बजट अनुमान 18–19	संशोधित अनुमान 18–19	31.03.2019 तक व्यय
विश्व बैंक की सहायता से चलने वाली राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम प्रशमन परियोजना (एन.सी.आर.एम.पी.)	6039400	3030300	3026819
अन्य आपदा प्रबंधन परियोजनाएं (ओ.डी.एम.पी.)	355900	310800	264901
स्थापना प्रभार	321200	309000	286871*

टिप्पणी: *सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय–विज्ञापन एवं प्रचार निदेशालय के आंकड़े समाहित।

अनुबंध I

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन.डी.एम.ए.) का संघटन

वर्तमान संघटन

1.	भारत के माननीय प्रधानमंत्री	अध्यक्ष
2.	श्री आर.के. जैन, आईएएस (सेवानिवृत्त)	सदस्य (01.12.2015 से 30.11.2018 तक) सदस्य सचिव (23.02.2015 से 30.11.2015 तक)
3.	लेफ्टिनेन्ट जनरल एन.सी. मरवाह, पी.वी.एस.एम., ए.वी.एस.एम. (सेवानिवृत्त)	सदस्य (30.12.2014 से)
4.	डॉ. डी.एन. शर्मा	सदस्य (19.01.2015 से)
5.	श्री कमल किशोर	सदस्य (16.02.2015 से)

पूर्व सदस्य

1.	जनरल एन.सी. विज	उपाध्यक्ष (28.09.2005 से 27.09.2010 तक)
2.	श्री एम. शशिधर रेड्डी	उपाध्यक्ष (16.12.2010 से 16.06.2014 तक) सदस्य (11.10.2010 से 16.12.2010 तक) सदस्य (05.10.2005 से 04.10.2010 तक)
3.	ले० जनरल (डॉ०) जे.आर. भारद्वाज	सदस्य (28.09.2005 से 27.09.2010 तक)
4.	डॉ० मोहन कांडा	सदस्य (05.10.2005 से 04.10.2010 तक)
5.	प्रो० एन. विनोद चंद्र मेनन	सदस्य (28.09.2005 से 27.09.2010 तक)
6.	श्रीमती पी. ज्योति राव	सदस्य (14.08.2006 से 13.08.2011 तक)
7.	श्री के. एम. सिंह	सदस्य (14.12.2011 से 11.07.2014 तक) सदस्य (28.09.2005 से 27.09.2010 तक)
8.	श्री बी. भट्टाचार्जी	सदस्य (15.12.2011 से 11.07.2014 तक) सदस्य (21.08.2006 से 20.08.2011 तक)

9.	श्री जे. के. सिन्हा	सदस्य (04.06.2012 से 11.07.2014 तक) सदस्य (18.04.2007 से 17.04.2012 तक)
10.	श्री टी. नन्दकुमार	सदस्य (08.10.2010 से 28.02.2014 तक)
11.	श्री वी.के. दुग्गल	सदस्य (22.06.2012 से 23.12.2013 तक)
12.	मेजर जनरल जे. के. बंसल	सदस्य (06.10.2010 से 11.07.2014 तक)
13.	डॉ. मुजफ्फर अहमद	सदस्य (10.12.2010 से 03.01.2015 तक)
14.	डॉ. हर्ष के. गुप्ता	सदस्य (23.12.2011 से 11.07.2014 तक)
15.	डॉ. के. सलीम अली	सदस्य (03.03.2014 से 19.06.2014 तक)
16.	श्री के.एन. श्रीवास्तव	सदस्य (03.03.2014 से 11.07.2014 तक)

अनुबंध II

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) के वरिष्ठ अधिकारियों की सूची

1.	श्री आर.के. जैन, सचिव (04.10.2014 से 22.02.2015 तक) सदस्य सचिव (23.02.2015 से 30.11. 2015 तक) सदस्य (01.12.2015 से 30.11.2018 तक)
2.	डॉ० प्रदीप कुमार, सेक्रेटरी (प्रभारी)/अपर सचिव (प्रशा.) एवं परियोजना निदेशक (10.12.2018 से) अपर सचिव (प्रशा.) एवं परियोजना निदेशक (05.03.2018 से) अपर सचिव एवं परियोजना निदेशक (01.08.2017 से)
3.	श्री रविनेश कुमार, वित्तीय सलाहकार (10.10.2017 से)
4.	डॉ० वी. तिरुपुगल, संयुक्त सचिव एवं सलाहकार (07.09.2015 से 02.07.2016 तक और 03.01.2017 से)
5.	श्री अनिल कुमार संगी, संयुक्त सचिव एवं सलाहकार (03.12.2013 से 03.12.2018 तक)
6.	ब्रिगेडियर अजय गंगवार, सलाहकार (प्रचालन एवं संचार) (01.11.2017 से)
7.	सुश्री श्रेयसी चौधरी, निदेशक (08.12.2015 से)
8.	लेफ्टिनेंट कर्नल राहुल देवरानी, संयुक्त सलाहकार (21.08.2017 से)
9.	श्री धीरेन्द्र सिंह सिन्धु, संयुक्त सलाहकार (24.06.2013 से 23.06.2018 तक)
10.	डॉ० पवन कुमार सिंह, संयुक्त सलाहकार (06.07.2018 से) वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (23.05.2008 से 05.07.2018 तक)
11.	श्री भूपिन्दर सिंह, निदेशक (27.09.2018 से) उप सचिव (25.02.2013 से 16.09.2018 तक)
12.	श्री योगेश्वर लाल, उप सचिव (07.07.2014 से 30.06.2016 तक) निदेशक (01.07.2016 से)
13.	श्री अनुराग राणा, संयुक्त सलाहकार (19.10.2016 से)
14.	श्री पुष्कर सहाय, संयुक्त सलाहकार (08.02.2017 से)
15.	श्री विजय सिंह नेमिवाल, संयुक्त सलाहकार (31.05.2017 से)

16	कर्नल अमित खोसला, संयुक्त सलाहकार (13.11.2017 से)
17.	श्री पार्थो कंसबनिक, अवर सचिव (18.08.2011 से)
18.	श्री अमल सरकार, अवर सचिव (14.11.2012 से)
19.	श्री तुराम बारी, अवर सचिव (01.01.2013 से)
20.	श्री एम.ए. प्रबाकरन, सहायक वित्तीय सलाहकार (15.09.2014 से)
21.	श्री सुनील सिंह रावत, अवर सचिव (30.03.2015 से)
22.	श्री पंकज कुमार, अवर सचिव (06.04.2015 से)
23.	श्री रमेश कुमार मिश्रा, अवर सचिव (28.03.2014 से)
24.	श्री राजेन्द्र कुमार बंधु, अवर सचिव (19.02.2016 से 31.03.2019 तक)
25.	श्री मोहन लाल शर्मा, अवर सचिव (16.09.2016 से)
26.	श्री ए. सच्चिदानन्दन, अवर सचिव (01.01.2019 से)
27.	श्री हाउसुअनथांग गुईते, अवर सचिव (01.01.2019 से 28.02.2019 तक)
28.	सुश्री आम्रपाली दीक्षित, सहायक सलाहकार (03.06.2013 से)
29.	श्री नवीन कुमार, सहायक सलाहकार (22.07.2016 से)
30.	श्री कमल किशोर राव, सहायक सलाहकार (29.09.2016 से)
31.	श्री दीपक अहलावत, ड्यूटी अधिकारी (30.01.2017 से)
32.	श्री सुशील कुमार, ड्यूटी अधिकारी (13.02.2017 से)
33.	डॉ० एस.के. जेना, वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (01.08.2008 से)
34.	श्री नवल प्रकाश, वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (22.05.2009 से)
35.	डॉ० मोनिका गुप्ता, वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (24.07.2013 से 23.07.2018 तक)

VPS Engineering Impex Pvt. Ltd.
B-4, Sector 60, Noida-201309
+91 120 4317109
e mail: marketingvps2013@gmail.com